मूल्य— १२ रुपये वार्षिक
इस अंक का मूल्य— ५ रुपये

प्रकाशक
वीरेन्द्र अरोड़ा, कुलसचिव
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

मुद्रक—जैना प्रिन्टर्स, ज्वालापुर ।

विषय-सूची

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचारों के लिए स्वयं लेखक ही पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल-कांगड़ी-विश्वविद्यालयस्य मासिकी पत्रिका]

ज्येष्ठ—आश्विन, २०४१ अंक : ६-१०

जून — अक्तूबर, १९८४ वर्ष : ३६ पूर्णांक : ३५७-६१

श्रुति-सुधा

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

(शुक्ल—यजुर्वेद ४०।१)

अर्थ : इस जगती अर्थात् विश्व में जो कुछ भी विद्यमान है वह सभी कुछ अन्तर्यामी रूप में सबका ईशन करने वाले परमेश्वर का वास्य है। वही समस्त स्थावरजङ्गमात्मक जगत् में आत्मरूप में विद्यमान होकर उसे आच्छादित करता है। जगती उससे परिपूर्ण है; इसका कोई भी अंश उससे रहित नहीं है। अतः जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ उस ईश्वर ही के हैं; हमारा उन पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी योग्य पदार्थों को परमेश्वर ही का समझते हुए ममत्व तथा आसक्ति का त्याग कर केवल कर्त्तव्य पालन के निमित्त उनका यथाविधि उपभोग करे; विषयों में अपने मन को न फँसने दे। उसे किसी के भी धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन किसी का नहीं होता।

वाल्मीकिकालिदासयोः प्रावृड्वर्णनम्

—वेदप्रकाश शास्त्री

घर्मांशुतापपरितप्ते जगन्मण्डले समग्रामुर्वीं शीतलयितुं समायाति जलदागमोऽयं सर्वचित्तानुरञ्जकः। सर्वैरेव संस्कृतकवीश्वरैः कवित्वप्रतिभासाम्यमावहद्भिर्जलदागमोऽयं सुतरां वर्णितः। इदं प्रावृड्वर्णनं वाल्मीकिकालिदासाभ्यां नैपुण्येन कृतमतस्तयोरेव वर्णनं यथायथमालोचनपदवीमुपनीयते। सर्वप्रथमं वर्षर्तो कलात्मकं वर्णनं वाल्मीकिरामायण एव दृश्यते। रामायणानन्तरं पश्चाद्वर्तिनिकाव्यकल्पे प्रावृड्वर्णनं नितरां द्रष्टुं शक्यते। रामायणस्य किष्किन्धाकाण्डे रामः समागतं वर्षाकालं वीक्ष्य तदागमनविषये स्वानुजं लक्ष्मणं प्रोवाच—

अयं स कालः सम्प्राप्तः समयोऽद्य जलागमः।
संपश्य त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसन्निभैः॥

(वा०रा०कि० २८।४)

हे सुमित्रानन्दन! जलदायकोऽयं प्रसिद्धः प्रावृट्कालः सम्प्राप्तः कालेऽस्मिन् गिरिसदृशैः पयोधरपटलैः सम्पूर्णं व्योममण्डलं प्रावृतम्। यथा वाल्मीकिना वर्षाकालागमनसूचनोपमालंकारसौष्ठवेन प्रदत्ता तथैव कालिदासोऽपि प्रावृट्कालं सूचयति परं तद्वर्णनं कामपि वैदग्धीमावहति। यथा क्वचिद् प्रमोदावसरे कश्चिद्राजा सपताकं मदवर्षिणं गजमारुह्य वाद्यवादकैः सह सर्वानानन्दयन् समायाति तथैव जलबिन्दुपरितं मेघकुञ्जरमारुह्य विद्युत्केतुमुत्तोलयन् सोल्लासं घनागमोऽयं समायातः यथा—

ससीकराम्भोधरमत्तकुञ्जर—
स्तडित्पताकोऽशनिशब्दमर्दलः।
समागतो राजवदुद्धतद्युति—
र्घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये॥

(ऋतु० २।१)

महाकविना वाल्मीकिना क्वचिदेकस्मिन् स्थले प्रतीयमानोत्प्रेक्षालंकारेण विच्छित्ति-पूर्वक वर्षाकालस्य वर्णनं कृतम् । जलवर्षणमालोक्य कविः कथयति यत् भास्करस्य किरणैः समुद्राणां जलं पीत्वा नवमासपर्यन्तं धृतं गर्भमेव द्यौरियमिदानीं जलरुपेण मुञ्चति । यथा—

नवमास धृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः ।
पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम् ॥

(वा०रा०कि० २८।३)

अत्र कवीश्वरेण गर्भप्रक्रियां वर्णयता वृष्टिविज्ञानविषये किमपि संदिष्टमेव । वैज्ञानिकमतानुसारं व्योम्नि पूर्वं जलानां गर्भमयी प्रक्रिया सम्पद्यते तदनन्तरमेव पृथिव्यां जलवर्षणं भवति । महाकविना कालिदासेन अमुमेव श्लोकमधिगत्य स्वकीये रघुवंशमहाकाव्ये दिलीपगुणवर्णने स्वप्रतिभोन्मेषः कृतः । यथा—

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥

(रघु० १।१८)

वाल्मीकिना क्वचिदाकाशस्य मानवीकरणरुपेण वर्णनं कृतम् । यथा लोके व्रणितः पुरुषः श्वेतवस्त्रखण्डैर्व्रणभागं बध्नाति तदा तस्य व्रणभागस्तु रक्तिमः शेष-भागश्च शुभ्र एव भाति तथैव कविरत्र प्रावृड्वर्णने व्योमविषये कामपि नवीना-मुत्प्रेक्षां परिकल्प्य रसं परिपुष्णाति । यथा—

संध्यारागोत्थितैस्ताम्रै रन्तेष्वपि च पाण्डुभिः ।
स्निग्धैरभ्रपटच्छेदैर्बद्धव्रणमिवाम्बरम् ॥

(वा०रा०कि० २८।५)

अपरस्मिन् श्लोके वाल्मीकिना पुनरपि व्योम्नः मानवीकरणं कृतम् । लोके यथा कश्चित् कामातुरः पुमान् मन्दं मन्दं निःश्वसिति चन्दनचर्चितकायो भवति, पाण्डुवर्णभश्च जायते तथैव मन्दं मन्दं पवनं निःश्वासरुपेण सन्ध्यां चन्दनरुपेण पाण्डुरं जलदञ्च पीतकपोलरुपेण धारयन् असावाकाशः कामातुर जन इवाभाति । यथा—

मन्दमारुतनिःश्वासं ।
संध्याचन्दनरञ्जितम् ।
आपाण्डुजलदं भाति ।
कामातुरमिवाम्बरम् ॥

(वा०रा०कि० २८।६)

वर्षाकाले सूर्यातपतप्ता पृथिवी बाष्पं मुञ्चति, वाल्मीकिना पृथिव्याः समुत्थितं बाष्पं वीक्ष्याभिनवा कल्पना कृता। इय पृथिवी घर्मतप्ता नवेन जलेन परिप्लुता शोकसंतप्ता सीतेवाश्रुजलं विमुञ्चति। अत्राचेतन भूतायाः पृथिव्याश्चेतनवद्-वर्णनं कृत्वा कविना सहृदयानां हृदयानि सरसानि कृतानि। यथा—

एषा घर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्लुता ।
सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्पं विमुञ्चति ॥
(वा०रा०कि० २८।७)

महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशेऽयमेव श्लोकः प्रकारान्तरेण समुपलभ्यते। तत्र रामः सीतां कथयति—

आसारसिक्तक्षितिबाष्पयोगान्मामक्षणोद्यत्रबिभिन्नकोशैः ।
बिडम्ब्यमाना नवकन्दलैस्ते विवाहधूमारुणलोचनश्रीः ॥
(रघु० १३।२९)

वर्षाकाले व्योम्नि मेघाः समन्तात् प्रादुर्भवन्ति कालिदासेन तत्र मेघानां त्रिता निगदिता। आकाशमण्डले क्वचिद् नीलोत्पलकान्तिसंनिभा मेघा विभान्ति, क्वचित् भिन्नाञ्जनसमूहसदृशाः शोभन्ते, क्वचिच्च गर्भिण्याः स्तनकान्तिसमाः सन्ति। यद्यपि वर्णिताः सर्वेऽपि मेघाः श्यामवर्णा एव तथापि कालिदास ईषद्भेदकल्पनया त्रिधा बिम्बनिर्मितिं विधाय कामप्यभिनवां हृदयहारिणी प्रावृट्शोभां वर्णयामास। यथा—

नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभिः क्वचित्प्रभिन्नाञ्जनराशिसंनिभैः ।
क्वचित् सगर्भप्रमदास्तनप्रभैः समाचितं व्योमघनैः समन्ततः ॥
(ऋतु० २।८)

कालिदासेन क्वचित् बलाहकानां वीररूपेण वर्णनं कृतम्। यथा लोके कश्चिद् वीरो युद्धभुवमवतीर्य सिंहगर्जनां विधाय समौर्वीकं कोदण्डमाकर्णान्तिमास्फाल्य प्रक्षिप्त-सायकाग्रभागैः शत्रून् पीडयति तथैवेते मेघा अपि प्रवासिनां चेतांसि पीडयन्ति। यथा—

बलाहकाश्चाशनिशब्दमर्दलाः सुरेन्द्रचापं दधतस्तडिद्गुणम् ।
सुतीक्ष्णधारापतनाग्रसायकैस्तुदन्ति चेतः प्रसभं प्रवासिनाम् ॥
(ऋतु० २।४)

अत्र कविना साङ्गरूपकस्य प्रशंसनीयः प्रयोगः कृतः। मेघानां मानवीकरणमत्र रूपकाश्रितमेव। इह "प्रसभं" शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा कविना मेघानां प्रहारविषये निर्दयत्वमपि सहृदयानां प्रतीतियोग्यं कृतम्।

जलदागमे नद्यस्त्वरितगत्या सागरमभिगच्छन्ति। सागरमधिगच्छन्तीनां नदीनां वर्णनं पुंश्चलीनां नायिकाना चरित्रेण तुलितमिवाभाति। यथा—

निपातयन्त्यः परितस्तटद्रुमान् प्रवृद्धवेगैः सलिलैरनिर्मलैः।
स्त्रियः सुदुष्टा इव जातविभ्रमाः प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिम्॥
(ऋतु० २।७)

वर्षाकाले नवोदकं कीटरजस्तृणादीनि समादाय वक्रगत्या प्रवहति। तत्र जलस्य तिर्यक् प्रवाहं विलोक्य कविना नवोदकसर्पयोः साम्यमतीवचारुतयोपमालकारेण वर्णितम्। तत्र कवेरुपमाप्रयोगोऽनायासेनैव दृश्यते। यथा –

विपाण्डुरं कीटरजस्तृणान्वितं भुजङ्गवद् वक्रगतिप्रसर्पितम्।
ससाध्वसैर्भेककुलैर्निरीक्षितं प्रयाति निम्नाभिमुख नवोदकम्॥
(ऋतु० २।१३)

प्रावृट्कालोऽयं संयोगिनं सुखं प्रयच्छति परं वियोगिनं तु भृशं पीडयति। याः प्रोषितपतिका सन्ति तासां कृते मेघदर्शनं नितरामसह्यम्। कालिदासेन प्रवासि-प्रमदाना नैराश्यान्वितं जीवनमेकेन पद्येन सकरुणं वर्णितम्। यथा—

विलोचनेन्दीवरवारिबिन्दुभिर्निषिक्तबिम्बाधरचारुपल्लवाः।
निरस्तमाल्याभरणानुलेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम्॥
(ऋतु० २।१२)

धारागमकाले नलिनी विपत्रपुष्पा भवति। अत एव मनाक् म्लानिमानमुपगतां नलिनी विहाय भृङ्गा इतस्ततः परिभ्रमन्तः कानने नृत्यकर्मप्रवृत्तानां मयूराणा कलापचक्रमेव नवोत्पलं मत्वा विमूढास्तत्र पतन्ति। कविना भ्रमराणां भ्रान्तावस्थायाः कलात्मक वर्णनमत्र भ्रान्तिमानालकारेण कृतम्। यथा—

विपत्रपुष्पां नलिनीं समुत्सुका विहाय भृङ्गाः श्रुतिहारिनिःस्वनाः।
पतन्ति मूढाः शिखिनां प्रनृत्यतां कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया॥
(ऋतु० २।१४)

प्राय सर्वैरेव कवीश्वरैरयं प्रावृट्कालः सर्वत्रोद्दीपनविभावतया वर्णितः। अस्मिन् काले जनानां प्रसुप्ताः कामविकाराः पुनरुज्जीविता भवन्ति, पुनश्च नार्यः कामिनां रतिभावं मुहुर्मुहुः क्रियमाणाभिश्चेष्टाभिरुद्दीपयन्ति। यथा—

शिरोरुहैः श्रोणितटावलम्बिभिः
कृतावतंसैः कुसुमैः सुगन्धिभिः।

स्तनैः सहारैर्वदनैः ससीधुभिः
स्त्रियो रतिं संजनयन्ति कामिनाम् ॥
(ऋतु० २।१८)

लोके यदोत्सवावसरः समायाति तदा मानवसमूहः स्नानादिकं कृत्वा नवनव परिधानं विरच्य, मन्दं मन्दं हसन्, साङ्गोच्छ्वासं उल्लसन् नृत्यन् इवाभाति तथैव वर्षाकाले वनान्तोऽपि उत्फुल्ल इव मुदित इव विभाति । यथा—

मुदित इव कदम्बजैर्जातपुष्पैः समन्तात् ।
पवनचलितशाखैः शाखिभिर्नृत्यतीव ।
हसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनां ।
नवसलिलसेकश्छिन्नतापो वनान्तः ॥
(ऋतु० २।२४)

यद्यपि वाल्मीकिना कालिदासेन च चारुतया प्रावृड्वर्णनं कृतम् । उभावपि कवीश्वरावन्योऽन्यमन्यूनाधिकौ स्तस्तथापि वाल्मीकिकृतं वर्णनं कामपि प्रतिभोत्त-रतामेवावहति । एकस्मिन् पद्ये पर्वतवर्णनं प्रकुर्वाणेन वाल्मीकिना या कल्पना कृता सा नूनमेव सर्वथाभूतपूर्वा हृद्या अनवद्याच । यथा--

मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः ।
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥
(वा०रा०कि० २८।१०)

यथा कश्चिद् विप्रवटुर्मु निवटुर्वा मृगाजिनमवधार्य ससूत्रः श्रु ति पठति तथैव पर्वता अपि मेघान् कृष्णाजिनत्वेन जलधारा यज्ञोपवीतेन गुहोद्भूतान् मरुच्छब्दान् मन्त्रोच्चाररुपेण परिकल्प्य वेदपाठिन इव जाताः । अत्र कविना प्रावृट्कालिको वेदप्रचारः प्रसारश्च सूचितः ।

एकस्मिन् स्थले वाल्मीकिना व्योम्नि कालमेघपटलमध्ये स्फुरन्ती विद्युद् विलोकिता, तां च विलोक्य अभिनवा कल्पना कृता । तत्कल्पनानुसार नीलमेघा-श्रितेय विद्युद् रावणस्याङ्के विचेष्टमाना सीतेव भाति । यथा—

नीलमेघाश्रिता विद्युत् स्फुरन्ती प्रतिभाति मे ।
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥
(वा०रा०कि० २८।१८)

वर्षाकाले जलवर्षणात् सर्वत्र मार्गगमनमसुकरं भवति, विशेषतः पर्वतस्थलेषु । यथा कश्चिद् भारवाहकः परिक्लान्तः सन् मध्ये मध्ये विश्रम्य यात्रां साधयति

तथैव मेघा अपि जलभारं वहन्तो मध्ये मध्ये पर्वतशृङ्गेषु विरम्य प्रयान्ति । अत्रापि मेघानां कविना मानवीकरणं विधाय चेतनवद् वर्णनं कृतम् । यथा—

समुद्वहन्तः सलिलातिभारं ।
बलाकिनो वारिधरा नदन्तः ।
महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां ।
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥

(वा०रा०कि० २८।२२)

वाल्मीकिना यथासंख्यालंकारयोजनया केवलमेकस्मिन्नेव पद्ये समग्रं प्रावृड्वर्णनं-कृतम् । यथा—

वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति ।
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः
प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्गमाः ॥

(वा०रा०कि० २८।२७)

अमुमेव श्लोकं यथाबन्धमादाय महाकविना कालिदासेन प्रावृड्वर्णनं कृतम् । केवलं तत्र शब्दद्वये कविना परिवृत्तिः कृता । यथा—

वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति रुदन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति ।
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्गा ॥

(ऋतु० २।१९)

महाकविना वाल्मीकिना वनप्रदेशानामनेकरूपेषु वर्णनं कुर्वता वनशोभा प्रकटिता, अखिलोऽपि वनान्तः प्रावृट्समये सोत्प्रासमुत्सवमयः संजातः । यथा—

क्वचित् प्रगीता इव षट्पदौघैः
क्वचित् प्रनृत्ता इव नीलकण्ठैः ।
क्वचित् प्रमत्ता इव वारणेन्द्रै
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥

(वा०रा०कि० २८।३३)

एवं प्राकृतं प्रावृड्वर्णनं विलोक्य निगदितुं शक्यते यत् वाल्मीकिना यद् वर्णनं कृतं तदेव किञ्चित् परिशोध्य परिवर्त्य च कालिदासेनापि वर्णितम् । परं सत्यपि साम्ये स्वस्ववर्णने द्वावपि कवीश्वरावप्रतिहतगतिकौ । अन्यस्य कवेश्छायामनुगृह्णन्नपि प्रतिभाप्रपन्नः कवीश्वरो नैव पुनरुक्तदोषभाग् भवति । आनन्दवर्धनेनापि साधु समीरितम्—"अनुमतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादृक्, सुकविरूपनिबध्नन् निन्द्यतां नोपयाति" । अत उभयोरपि कवीश्वरयोः प्रावृड्वर्णनं सुतरां रम्यम्, सद्यः परनिर्वृत्तिकरम्, कान्तासम्मितोपदेशकरञ्च । ○○

गीर्वाणवाणी सदा

—विश्वबन्धु शास्त्री

(१)

वेदोक्ता परिबोधराशिरनघा गर्भीकृता पावना,
विद्यायास्सकलाः कला-कुशलताश्चारुतया चित्रिता।
देवानां मधुराऽधरा विलसिता भाषासु दिव्या प्रिया,
गीर्गङ्गाऽघविनाशिनी प्रवहतां गीर्वाणवाणी सदा ।।

(२)

धात्रादौ विहिता हिताय जगतो ज्ञानाम्बुधिश्शेवधि ,
माता वेदमयी विशालहृदया भव्या भृशं राजते ।
यस्यां संस्कृति–सभ्यता–स्ववपुषा संशोभते सर्वदा,
सेयं नस्सुरभारती विजयतां गीर्वाणवाणी सदा ।।

(३)

मर्यादा पुरुषोत्तमस्य चरितं रामायणं निर्मलम्,
धर्माधर्मविवेकबोधविहितं भव्यं महाभारतम् ।।
श्रीकृष्णस्य विगूढबोधविभवं मोहान्धकारापहम्,
कैवल्यस्य विबोधिकाविजयतां गीर्वाणवाणी सदा ।।

(४)

भाषाणां जननी प्रियाऽमृतधरा, शब्दौघपूर्णा शिवा,
फ्रेञ्चाद्या विविधाः पराः विकसिताः स्तन्यस्य पानेन याः ।
दण्डी–भास–सुबन्धु–दास–कविभिः काव्याम्बुभी रक्षिता,
साऽस्मान् पातु सरस्वती भगवती गीर्वाणवाणी सदा ।।

यजुर्वेद और आधुनिक जीवन

—मानसिंह

'यजुर्वेद' में यज्ञ-यागो के लिए उपादेय मन्त्रो अर्थात् यजुषों का संग्रह है। वेद के दो सम्प्रदाय है—ब्रह्म-सम्प्रदाय तथा आदित्य-सम्प्रदाय। 'शत-पथ-ब्राह्मण, के अनुसार आदित्य-यजुष्, शुक्ल-यजुष् के नाम से प्रसिद्ध है और याज्ञ-वल्क्य द्वारा आख्यात है— "आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते "(१४।८।५।३३)। अतः आदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 'शुक्ल यजुर्वेद' है। ब्रह्म-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 'कृष्ण यजुर्वेद' है। 'यजुर्वेद' के शुक्लत्व तथा कृष्णत्व का भेदक तत्त्व उसका स्वरूप है। 'शुक्ल-यजुर्वेद' मे दर्शपौर्णमासादि अनुष्ठानो के लिए आवश्यक मन्त्रों का ब्राह्मण-भाग से रहित संकलन है। इसके विपरीत, 'कृष्ण-यजुर्वेद' मे मन्त्रो के साथ ही उनके नियोजक ब्राह्मण-भाग का भी सम्मिश्रण है। मन्त्रो का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल-यजु. के शुक्लत्व का कारण है और मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण-यजु के कृष्णत्व का हेतु है। 'शुक्ल-यजुर्वेद' की प्रधान शाखाएँ काण्व तथा माध्यन्दिन है और मन्त्र-सहिता 'वाजसनेयी सहिता' के नाम से विख्यात है, जो प्रस्तुत वार्ता का आधार है। 'कृष्ण-यजुर्वेद' की आजकल केवल चार ही शाखाएँ उपलब्ध है— तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल-कठ। अनेकत्र निर्दिष्ट एक आख्यान के अनुसार गुरु वैशम्पायन के शाप से भीत योगी याज्ञवल्क्य ने स्वाधीत यजुषो का वमन कर दिया और गुरु के आदेश से अन्य शिष्यो ने तित्तिरि का रूप धारण कर उसका भक्षण किया। इन्ही यजुषो का संग्रह 'कृष्ण-यजुर्वेद' की 'तैत्तिरीय संहिता' मे है। याज्ञवल्क्य ने सूर्य को प्रसन्न कर उनके अनुग्रह से शुक्ल-यजुषों की प्राप्ति की जिनका संकलन 'शुक्ल-यजुर्वेद' में है। 'शुक्ल-यजुर्वेद' की काण्व तथा माध्यन्दिन सहिताओ में ४० अध्यायो में दर्शपौर्ण-मास, अन्वाधान, अग्निहोत्र, अग्न्युपस्थापन, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन, सौत्रामणी, अश्वमेध, पुरुषमेध, प्रवर्ग्य तथा ब्रह्मविद्या प्रति-पादित है। प्रायः ये ही विषय ब्राह्मण-भाग सहित 'कृष्ण-यजुर्वेद' की संहिताओं में प्रतिपादित किए गए हैं।

बाह्य रूप से देखने पर यज्ञ किसी देवताविशेष के लिए हव्य का अग्नि में प्रक्षेप-मात्र है; किन्तु वस्तुतः वस्तुस्थिति ऐसी नही है। यज्ञ विलक्षण रहस्य से युक्त है। यज्ञ का उद्देश्य है मानव को सर्वविध शुद्धि प्रदान कर परार्थपरायण करना और अन्त में परम निःश्रेयस् की उपलब्धि कराना। 'पुरुषसूक्त' से स्पष्ट है कि लोकमगल के लिए स्वार्थ का बलिदान ही यज्ञ है, स्वयं आदि-पुरुष ने जगत्सृष्टि-रूप यज्ञ में अपनी बलि दी। इस प्रकार यज्ञ-भावना लोकोपकार की प्रेरिका है।

'यजुर्वेद' के मन्त्रो में उपनिबद्ध विचार समय की सीमा से परे है और सार्वकालिक एवं सार्वजनीन हैं। उनका आधुनिक युग एवं जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। उनमें मानव के आध्यात्मिक जीवन से सम्बद्ध रहस्यो ही का नही अपितु लौकिक, सामाजिक एव व्यक्तिगत जीवन-सम्बन्धी तथ्यो का भी चारु निरूपण हुआ है। 'यजुर्वेद' की कल्याणी वाणी सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए है, किसी वर्गविशेष की सम्पत्ति नहीं। एक ऋषि की उक्ति है—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥

(२६/२)

अर्थात् "मैं इन कल्याणी वाणी को (सभी) मनुष्यों के लिए कहता हूँ— ब्राह्मण तथा राजन्य के लिए, शूद्र तथा वैश्य के लिए, अपने लोगो तथा अन्य देशीय जनो के लिए।" इससे उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो वेदो के अध्ययन तथा अध्यापन का एकाधिकार द्विजों ही को देना चाहते है और स्त्री तथा शूद्रों को इस कल्याणी वाणी से वचित रखना चाहते है। वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी समाजरूप पुरुष के अग है, फिर उनमें भेद-भाव कैसा ?

यजुर्वेदीय विचारधारा की सबसे महत्त्वपूर्ण देन इस विराट् जगत् मे सार्वभौम ऐक्य की स्थापना है। 'यजुर्वेद' का चिन्तन सम्पूर्ण प्राणियो ही में नही प्रत्युत समग्र जगत् मे एकता के दर्शन करता है। यह बात "पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम्" (यह सब कुछ जो भूत तथा भाव्य है पुरुष ही है, ३१/२) ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्" (जगती में जो भी कुछ है वह सब ईश का वास्य है, ४०/१), "योऽसावादित्ये पुरुषःसोऽसावहम्" (जो वह आदित्य में पुरुष है वह मैं हूँ, ४०/१७), आदि उक्तियों से सुस्पष्ट है। 'यजुर्वेद' के ऋषि का कथन है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥
(४०/६-७)

अर्थात् "जो सब भूतों को अपने में और सब भूतों में अपने आपको देखता है वह संशयग्रस्त नहीं होता; जिस विज्ञानवान् व्यक्ति की दृष्टि में सम्पूर्ण भूत (अपना) आत्मा ही है उस एकत्व का दर्शन करने वाले को भला क्या मोह, क्या शोक ?" यदि आज यह ऐक्य की भावना हमारे हृदय में बद्धमूल हो जाए तो समस्त पारस्परिक वैमनस्य, विभिन्न देश, धर्म, जाति एवं वर्गों के व्यक्तियों के आपसी भेदभाव सदा के लिए मिट जाएँ; हम एक-दूसरे के सुख-दुःख, हानि-लाभ को अपना ही सुख-दुःख तथा हानि-लाभ समझने लगें, पारस्परिक भेदभाव को त्याग कर सद्भाव एवं प्रेम का व्यवहार करने लगें; और ईर्ष्या, द्वेष तथा घृणा आदि अवगुण धरा से तिरोहित हो जाएँ।

यजुर्वेदकालीन साम्यवाद तथा समाजवाद सम्पूर्ण जगत् को ईश्वर द्वारा व्याप्त मानता है, उसे ईश्वर की सम्पत्ति स्वीकार करता है। अतः मनुष्यविशेष का यहाँ कुछ भी नही है। उसे जो कुछ भी मिला है उसका त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए—

ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ॥
(४०/१)

अर्थात् "जगती में जो भी कुछ है वह (सब) ईश द्वारा वास्य है। अतः त्याग-पूर्वक भोग करो; किसी के भी धन की कामना न करो।" यदि आज का मानव इस भावना को हृदयंगम कर ले तो चोरी-डकैती, लूट-खसौट, मुनाफ़ा-खोरी, तस्कर-व्यापार आदि धनप्राप्तिहेतु अनैतिक आचरण सर्वथा समाप्त हो जाएँ और समाज में शान्ति, सद्भाव तथा प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाए।

'यजुर्वेद' में सार्वभौम मैत्री-भाव पर बल दिया गया है। देखिए यह मन्त्र—

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

(३६/१८)

अर्थात् "सम्पूर्ण प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मित्र की ही दृष्टि से मैं समग्र प्राणियों को देखूँ; हम (एक-दूसरे को) मित्र की दृष्टि से देखे।" आज के मानव के लिए यह कितना महनीय सन्देश है !

यजुर्वेदकालीन समाज सुपथहेतु देवो से प्रार्थना करता था और पाप-कर्मो से दूर रहता था। एक ऋषि की उक्ति है—

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेम ॥

(४०/१६)

अर्थात् "हे समस्त मार्गो के ज्ञाता अग्नि ! हमे धनार्थ शोभन मार्ग से ले जाइए; कुटिलतापूर्ण पापं को हमसे अलग रखिए, हम आपकी अत्यधिक नमस्कार-पूर्ण प्रार्थना करते है।" आज भी हमें सुपथ पर चलने तथा कुटिलता एव पापाचरण से दूर रहने की उतनी ही आवश्यकता है। तत्कालीन व्यक्ति भद्र का ही वरण करता था। एक ऋषि की सविता से प्रार्थना है—

विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा सुव ।
यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

(३०/३)

अर्थात् "हे सविता ! सम्पूर्ण दुरितों को (हमसे) दूर ले जाइए; जो भद्र है उसे हमारे प्रति प्रेरित कीजिए।" वह भद्र के श्रवण तथा दर्शन की कामना करता है—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

(२५/२१)

अर्थात् "हे देवो ! हम कानो से भद्र सुनें और आँखों से भद्र देखे।" मन के भी शिव संकल्प से युक्त होने की प्रार्थना की गई है— "तन्मे मनः शिव-संकल्पमस्तु।" (३४/१)। वह सब ओर से भद्र संकल्पो अथवा विचारो की अभिलाषा करता है—

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ।

(२५/१४)

अर्थात् "भद्र संकल्प अथवा विचार हमारे पास सब ओर से आएँ।" आज के जीवन में इस भद्रता के संगमन की महती आवश्यकता है।

यजुर्वेदीय दर्शन अत्यधिक आशावादी है। वह मनुष्य को लौकिक जीवन

में सुखी, सम्पन्न, स्वस्थ, बलिष्ठ कर्मठ एवं दीर्घजीवी होने की प्रेरणा देता है। देखिए यह मन्त्र—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि
वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेह्योजोऽस्योजो मयि धेहि
मनुरसि मन्युं मयि धेहि
सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥
(१९/९)

अर्थात् "आप तेज है, मुझमें तेज का आधान कीजिए; आप वीर्य है, मुझमें वीर्य का आधान कीजिए; आप बल है, मुझमे बल का आधान कीजिए; आप ओज है, मुझमें ओज का आधान कीजिए; आप मन्यु अथवा कोप हैं, मुझमे मन्यु का आधान कीजिए, आप सह अथवा अभिभवशील शक्ति हैं, मुझमे सह का आधान कीजिए।" एक अन्य मन्त्र में प्रार्थना की गई है–

सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरैः सुपोषाः पोषैः।
(८/५३)

अर्थात् "हम प्रजाओं से शोभन प्रजावाले, वीरों से शोभन वीरो वाले और पुष्टियो से शोभन पुष्टियुक्त हो जाएँ।" अन्य मन्त्र में सौ वर्ष अथवा उससे भी अधिक दैन्यभावरहित होकर जीने की कामना की गई है—

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतंशृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतपदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥
(३६/२४)

अर्थात् "हम सौ शरत् देखे, सौ शरत् जीवित रहें, सौ शरत् सुनें, सौ शरत् बोलें, सौ शरत् अदीन होकर रहें; (बल्कि) सौ शरत् से भी अधिक।" परन्तु कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की अभिलाषा की गई है—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
(४०/२)

ये विचार निश्चय ही आधुनिक मानव- समाज के लिए आशावान् एव कर्मठ जीवन-हेतु एक अत्यन्त स्वस्थ आदर्श प्रस्तुत करते है।

'यजुर्वेद' में मानवकल्याण, तृप्ति तथा शान्ति की कामना की गई है। एक ऋषि के शब्द है—

मनो में तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं मे तर्पयत चक्षुर्मे तर्पयत
श्रोत्रं मे तर्पयतात्मान मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून्मे तर्पयत
गणान्मे तर्पयत गणा मे मा वितृषन् ॥
(६/३१)

वैज्ञानिक डॉ० जयन्त विष्णु नारलीकर के द्वारा संशोधन किया **गया है।** आइन्सटाइन के सापेक्षता के सिद्धान्त में भी कितने दिनों के पश्चात् त्रुटि ज्ञात हुई है। इसी प्रकार निम्न वर्णित वैदिक तथ्यों का उत्तर आधुनिक विज्ञान की देन है। यहाँ केवल इन वैदिक तथ्यों को उल्लिखित किया जा रहा है जिनके विषय में आधुनिक विज्ञान अब तक चुप है अथवा विपरीत मान्यता रखता है।

सबसे पहले तेज गति को ही लें—पैदल-बैलगाडी-रेलगाडी-वायुयान की तीव्रता से होता हुआ आधुनिक विज्ञान राकेट की गति की तीव्रता तक पहुँचा है। अब निम्न मंत्र पर विचार करें–

त युञ्जाथा मनसो यो जवीयान् त्रिबन्धुरो वृषणा यस्त्रिचक्रः।
येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विर्न पर्णैः॥

(ऋ० १/१८३/१)

इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि– "हे अश्विदेवो ! उस **मन से भी अधिक वेग वाले रथ के द्वारा** उत्तम कर्म वाले यजमान के घर को पक्षी के समान गति से प्राप्त होओ।"

इस प्रकार मंत्र में मन की गति से अधिक तीव्र गति का वर्णन है। आधुनिक विज्ञान का यह लक्ष्य इस गति को प्राप्त करना होना चाहिए।

अब एक दूसरे वैदिक तथ्य पर विचार करें। आधुनिक विज्ञान की मान्यता है कि सूर्य स्वयं प्रकाशित ग्रह है और चन्द्रमा इत्यादि उसके प्रकाश से प्रकाशित होते है। अब निम्न मन्त्र पर विचार करे—

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः।
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि॥

(ऋ० ८/९८/२)

इस मंत्र के अर्थ के अनुसार यह बताया गया है कि आदित्य अर्थात् सूर्य स्वयं प्रकाशित नही है वरन् किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।

इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है।

विभ्राजञ्ज्योतिषा स्व१रगच्छो रोचनं दिवः।
देवास्त इन्द्र संख्याय येमिरे॥

(ऋ० ८/९८/३)

अब अन्य वैज्ञानिक सिद्धान्तों (आइन्सटाइन का सापेक्षता का सिद्धान्त, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम) की भाँति आधुनिक विज्ञान के सामने

अब यह कार्य शेष है कि इस सिद्धान्त पर कि सूर्य स्वयं की शक्ति से प्रकाशित है, पुर्नविचार करे और तथ्य से संसार को परिचित कराये।

आधुनिक विज्ञान में ऊर्जा की अविनाशिता का सिद्धान्त है। इसके अनुसार ऊर्जा न पैदा की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है केवल ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जामें बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए विद्युत् मोटर में विद्युत् ऊर्जा को यान्त्रिक में बदलते हैं और जेनरेटर में यान्त्रिक ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में बदलते हैं, आदि। वेद में इस प्रकार की मशीन के द्वारा कार्य का वर्णन है जिसमें कोई ऊर्जा नही ली गई है, केवल कार्य हुआ है।

यदि आधुनिक विज्ञान के द्वारा इस प्रकार की मशीन बनाई जा सके तो सोचिये संसार का कितना भला होगा। निम्न मंत्र पर विचार करें—

आरे अघा को न्वि१त्था ददर्श यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति।
मास्मै तृणं नोदकमा भरन्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत्॥
(ऋ० १०/१०३/१०)

उपर्युक्त मंत्र में ऐसी मशीन की कल्पना की गयी है जिसे कोई उर्जा नही दी गई और उससे काम लिया जा रहा है।

आधुनिक विज्ञान को इस मशीन के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए।

इस प्रकार अन्य भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ आधुनिक विज्ञान नही पहुंच सका है अथवा उसकी मान्यता वैदिक मान्यताओं का अनुसरण नही करती। नये लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास की तथा जहाँ वेद में और आधुनिक विज्ञान में सहमति नही है, उस विषय पर नये सिरे से शोध-कार्य करने की आवश्यकता है।

वैदिक युग में संसदीय प्रणाली

—जबरसिंह सेंगर

वैदिक युग में राजा सर्वोपरि होता था परन्तु उसके ऊपर संसदीय (सभा-समिति) दो संस्थाओं का विशेष अकुश था जिससे वह निरकुश नही हो पाता था। वैदिक युग में शासन का स्वरूप धर्म के साथ-साथ रहता था। पुरोहित एवं सेनापति का विशेष महत्त्व था ही, परन्तु सभा-समिति का सभी पर अंकुश होता था।

'समिति' शब्द का अर्थ है– दूर-दूर से आकर एकत्रित लोग। 'अथर्ववेद' सप्तम कांड के १२ वें सूक्त में भगवान् के उपदेश से पता चलता है कि इन सभाओं में बड़े-बड़े विद्वान् (ज्ञानी) इकट्ठे होते थे और राजा को राज्य कार्य के लिए शिक्षा देते थे। राजा इन लोक-सभाओं की अवहेलना नही कर सकता था, क्योंकि ये सभायें प्रजापति परमात्मा से उत्पन्न समझी जाती थीं। इन सभाओं को नरिष्ठा (कल्याणकारी) के नाम से भी पुकारा जाता था। उनमे उपस्थित ज्ञानी और वर्चस्वी सभासदों की सम्मति के अनुसार ही राजा कार्य करता था। यथा—

सभा च या समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने।
येना संगच्छा उप मां स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ।।
विद्म ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि। ....
एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमाददे।
अस्याः सर्वस्याः संसदो आमिन्द्र भगिनं कृणु ।।

(अथर्ववेद ७/१२/ १-३)

उक्त मंत्र के अनुसार वेद भगवान् का यह वाक्य कि राजा वही श्रेष्ठ है जो इन लोक-सभाओं के पीछे चलने वाला हो। आगे वेद भगवान् कहते है-

राजानः सत्यः समितीरियानः

(ऋग्वेद ६/६२/६)

सभा–समिति, सेना और विद्वान् उसी राजा के पीछे चलते हैं जो कि प्रजा की सम्मति के पीछे चलने वाला हो। जो राजा सभा और समिति की सम्मति की परवाह नहीं करता उसे सभा–समिति से सहायता की आशा करना व्यर्थ है। यथा—

सविशोऽनुव्यचलत। तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलत्।
(अथर्व० १५/६/१-२)

अतः राजा सभा–समिति के अनुसार आचरण भी करते थे। वेद भगवान् राजा को तीन समितियों की आज्ञाओं के पालन का उपदेश देते थे– अर्थात् सभा, समिति, एवं मत्रिमंडल।

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि।
(ऋग्वेद ३।३८)

उक्त आज्ञा का पालन राजा वैदिक युग में करता था। वेद राजा को सभापति के नाम से भी संबोधित करते है--

नः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च।
(यजु० १६।२४)

इससे स्पष्ट होता है कि राजा सभा की बिना स्वीकृति के कोई कार्य नहीं कर सकता था और वास्तव में शासन करने वाली संस्था सभा ही है। राजा मात्र उसका सभापति है।

प्रो० के० पी० जायसवाल ने सभा–समिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि आर्य–जाति के प्राचीन रूप, साहित्य में हम पाते हैं कि उस काल में राष्ट्रीय जीवन और विधियों को लोकप्रिय सभा-समितियों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था। समिति सम्पूर्ण प्रजा की राष्ट्रीय सभा थी, राजा का चुनाव करती थी। राजा के सभी महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार किया करती थी। समिति विकसित समाज की संस्था थी। दूसरी संस्था सभा थी, जिसे नरिष्ठा भी कहते थे। संभवतः यह चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों की समिति की सत्ता के अंतर्गत काम करने वाली एक स्थायी समिति थी। समिति और सभा प्रजापति की दो पुत्रियाँ कही गई है। सभा के अधिकार क्षेत्र समिति से अधिक थे। 'अथर्ववेद' के ७।१२।१ के अनुसार सभा और समिति की निम्न प्रकार से व्याख्या की गई है :—

विल्सन तथा लुडविग महोदय ने सभा को उच्चतर भवन और समिति को निचला भवन कहा है। त्सिम्मर के अनुसार, जिनका मत अधिक उपयुक्त माना जा सकता है, सभा ग्राम-संस्था कहीं गई है एवं समिति केन्द्रीय संस्था। 'अथर्ववेद' १०।८।८-१३ तक दो मंत्रो के आधार पर पहले सभा का, बाद में समिति का, उसके बाद में मंत्रणा-परिषद् का उल्लेख मिलता है। यह क्रम उस समय के संवैधानिक विकास का परिचायक है। प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्येक ग्राम प्रायः स्वतन्त्र रूप में अपना पृथक्-पृथक् प्रबन्ध करता था। सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए ग्राम-निवासियों ने प्रबन्धकारिणी स्थानीय संस्था बना ली थी, जो सभा के नाम से विख्यात हुई। कालान्तर में जब राज्य की स्थापना हुई और राजाओं के अन्तर्गत अनेक ग्राम आ गये तो सार्वजनिक विषयो के लिये केन्द्रीय प्रशासनिक संस्था की स्थापना हुई जो समिति कहलाई।

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार 'ऋग्वेद' के मंत्रों में कई स्थलों पर सभा का उल्लेख है-(६।२८।६, ८।४।६, १०।३४।६), किन्तु उनसे उसके स्वरूप एवं कार्यों का उल्लेख नही मिलता। उसका अर्थ संसद भी है और सामाजिक सम्मेलन तथा सार्वजनिक विषयो पर विचार करने के लिये सभा-स्थान से भी अभिप्राय है। सभा मे श्रेष्ठ व्यक्ति सभासद् (ऋग्वेद १०।७१।१०) और सभा के योग्य व्यक्ति सभेय कहलाते थे (ऋग्वेद २।२४।१३)। उच्चकुल में उत्पन्न सुजात (ऋग्वेद १०।१।४) व्यक्ति सभा में आते थे। ऋग्वेद-कालीन सभा वृद्ध या प्रवर जनों की परिषद् या समिति थी-यह मत प्रो० के० पी० जायसवाल ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू पोलिटी' के अध्याय २ एवं ३ में व्यक्त किया है।

सभा—

सभा में विजय प्राप्त करने के लिये एक मंत्र पढ़ा जाता था—

विद्म ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि।
ये के चे सभासवस्ते मे सन्तु सवाचसः॥
(ऋग्वेद ७।२।२५)

अर्थात् हे सभा, मैं तेरा नाम जानता हूं, तेरा नाम नरिष्ठा (अजेय) है। इसलिए तेरे जितने सभासद् हों, वे सब समान विचार रखने वाले हो। डॉ० आर० के० मुकर्जी की पुस्तक 'हिन्दू सभ्यता' (पृष्ठ ८३) में भी उक्त मंत्र का विस्तृत समर्थक विश्लेषण मिलता है। विद्वान् वेदोपाध्याय का कथन है कि सभा न्याय का कार्य करती थी और उसका प्रधान राजा स्वय होता था। इसको राष्ट्रीय न्यायालय की भी संज्ञा दी गई है। सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता है। राजा सभा के निकट रहता था और उससे काफी अच्छे सम्बन्ध रखता था।

वैदिक साहित्य में सभा के जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे भी सभा का ग्राम-संस्था होना सिद्ध होता है। ऋग्वेद १०।३४।६ में अश्व तथा रथ पर आरूढ सभा के जाते हुए सभासदों का उल्लेख मिलता है। संभवतः ग्राम के धनी-मानी व्यक्तियों का विशेष स्थान था। वे सब रथ पर या घोड़ों पर चढ़कर जाते होंगे। एक स्थान पर सभा के सदस्यों को न्यायकर्ता माना गया है। न्याय करते समय इनके ऊपर किसी प्रकार की शंका नही की जाती थी। यथा—

सर्वे नंदन्ति यशसागतेन सभासाहेन संख्या संखायः ।
किल्विषस्पृत् पितुषणिहर्येषामरं हितो भवति वाजिनाय ।।

एक स्थान पर सभा के सदस्यों की विशेषताएं दर्शाते हुए लिखा गया है कि जहाँ अच्छे आदमी न हों, वह सभा नही है और जो अन्याय की बात करें वे भी अच्छे आदमी नही हैं और वे पुरुष जो अपने स्वार्थों का त्याग कर न्याय की बात करते हैं वे ही अच्छे पुरुष माने जाते हैं। यथा—

न सा सभा यत्र न सन्ति सन्तो न ते सन्तो ये न भणन्ति धर्मम् ।
राग च दोषं च विहाय धर्मं भणन्तश्च भवन्ति संतः ।।

ऋग्वेद ८।४।८ के अनुसार सभा के सदस्य कुछ स्वार्थी तत्त्वों का संभ्रान्त सभासद बनने के लिये प्रार्थना करते थे– "यहाँ जो लोग उपस्थित हैं– मैं उनके तेज एव ज्ञान को ग्रहण करता हूँ। हे इन्द्र, मुझे इस सम्पूर्ण संसद् का नेता बनाओ। जो तुम्हारा मन किसी अन्य ओर गया हुआ है या तुम्हारा मन किसी बात को पकड़ कर बैठ गया है, मैं तुम्हारे उस मन को हटाता हूँ, तुम्हारा मन मेरे अनुकूल हो जाये"। कहने का तात्पर्य यह है कि सभा का मुख्य कार्य न्याय करना होता था, क्योंकि उसे नरिष्ठा कहा गया है।

विदंते सभे नाम नरिष्ठा, नाम वा असि

(जातक पृ० ५०६)

'ऋग्वेद' मे सभा को 'किल्विष–स्पृत्' कहा गया है, जिसका अर्थ है पाप या अपराध का परिमार्जन करने वाली सभा। राजा भी सभा के प्रति उत्तरदायी था। सभा आजकल की संसदों की भाँति राष्ट्र नेता अर्थात् राजा को राज्य सम्बन्धी सचालन कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराती थी। एक स्थान पर लिखा गया है कि राजा सभा का सम्मान करता था।

समिति—

प्रो० के० पी० जायसवाल ने समिति को निचला सदन माना है और कुछ

विद्वानों ने इसको एक केन्द्रीय राज्य संस्था माना है। 'ऋग्वेद' में राजा कहता है–

> **एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमाददे।**
> **अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु॥**
> **यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा।**
> **तद्व आवर्तयामसि मयि वो रमतां मनः॥**

अर्थात् मैं तुम्हारा विचार और तुम्हारी समिति स्वीकार करता हूँ। ऋग्वेद में इस समिति के अंतर्गत राजनैतिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों के सम्पादित होने का आभास पाते हैं। इसमें बुद्धिजीवी अधिकांश रूप में होते थे और इसका प्रधान 'पति' या 'ईशान' (अथर्ववेद ६।१२।२) के नाम से पुकारा जाता था। ईशान को पूरे अधिकार समिति के संचालन के लिये थे। इनके कुछ सदस्य राजा द्वारा नियुक्त, कुछ जनता द्वारा और कुछ बुद्धिजीवियों या धनी मानी पुरुषों से चुने जाते थे। ग्रामपति की इस समिति में विशेष भूमिका रहती थी। वह समिति के सदस्यों को अपने व्यवहार एवं कार्यो से आकर्षित करता था। राजा और समिति में राष्ट्र की अभिवृद्धि के कारण समानता का होना आवश्यक था। इस मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि राजा और समिति दोनों के मंत्र, मन, चित्त एवं हृदय समान हों (ऋग्वेद १०।७१।१०)। सभा और समिति में क्या भेद था—यह वैदिक साहित्य में स्पष्ट नही है, पर वैदिक मंत्रों का अनुशीलन कर विद्वान् इस मत पर पहुँचे है कि समिति सभा की तुलना में बड़ी सभा थी और यह माना जाता था कि वह सम्पूर्ण प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा समिति में उपस्थित रहता था और समिति के "पति" अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था (ऋग्वेद १०।१६१)। समिति के सदस्यो को सम्बोधित कर कहा गया है—"तुम एक साथ मिलकर एकत्र हो, तुम साथ मिलकर एक बात कहो, तुम्हारे मन एकसदृश हों। पूर्वकाल के देवता लोग समान रूप से चिन्तन करते हुए जैसे बरतते रहे है। तुम्हारा मन एक समान हो, तुम्हारी सम्मति एक समान हो, तुम्हारा मन और चित्त समान हो, तुम्हारे निर्णय समान हों, जिससे तुम प्रसन्नतापूर्वक एक मत होकर रह सको"। राजा की नियुक्ति समिति द्वारा होती थी और राजा उसके प्रति उत्तरदायी होता था। राजा सभाओ को स्वीकार करते हुए उनके समक्ष निम्न प्रतिज्ञा करता था—

> **पृष्ठो मे राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवाश्च श्रोणीति।**
> **उरू अरत्नी आनुनीविशो मेऽङ्गानि सर्वतः॥**

(यजु० २०।८)

अर्थात् "मेरी प्रजाओं ! मैं तुम्हारे विचार और तुम्हारी सभा को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी सभायें जो भी निर्णय लेगी, उसे मैं सदा ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इससे स्पष्ट है कि राजा समिति के निर्णयों का क्रियान्वयन करता था। संवैधानिक दृष्टि से सार्वभौम सत्ता समिति के हाथ में थी। राज्य की नीति निर्धारित करते समय सभी को एकमत होना पडता था—'समानो मंत्रः समितिः समानी, सभी सदस्यों के समान उद्देश्य और समान विचार की व्याख्या भी समिति में होती थी। राजा और समिति के सम्बन्ध आजकल की संसद् और प्रधानमन्त्री की तरह थे। राजा का यह कर्तव्य था कि वह समिति की कार्य-वाहियों मे यदि उपस्थित नही होता था तो समिति अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती थी। जब तक समिति रही तब तक प्रत्येक कार्यवाही में राजा उपस्थित रहता था। जैसे—

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥
समानो मन्त्रः समिति समानो समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥
समानी व आकूतिः समानाः हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

(ऋग्वेद १०।४१।२-४)

संधि और विग्रह के समय समिति की बैठकें बुलाई जाती थी। अथर्ववेद के २।२७ में समिति की स्पष्ट व्याख्या की गई है। समिति में प्रार्थना की जाती थी कि हे ईश्वर हमारा शत्रु परास्त हो और हमारी विजय हो। राष्ट्र की प्रगति के विकास सम्बन्धी कार्य समिति किया करती थी। बुद्धिजीवी समिति में आने की इच्छा प्रदर्शित करते थे— **विशस्त्वा सर्वाः वाञ्छन्तु** । (ऋग्वेद २१।७३, अथर्ववेद ६।८७।१, **ध्रुवाय ते समितिः कल्पन्तामिह** (अथर्ववेद ६।८८।३), **त्वां विशो वृणतां राज्याय** (अथर्ववेद ३।४।२) ।

कुछ विदेशी इतिहासकारों ने वैदिक युगीन समिति की आलोचना भी की है। समिति के अन्दर शोर होना, बाहुबल का प्रयोग, अनुशासन-हीनता का भी वर्णन किया है। पर हमें जो मंत्र मिले हैं, और जिसमें समिति के सदस्यो ने इन्द्र से एक समान होकर प्रार्थना की है, उनसे स्पष्ट है कि उस समय कोई अनुशासन-हीनता या लज्जास्पद बात नही थी।

सभा और समिति के अतिरिक्त एक और सभा थी, जिसका नाम बृहद्रथ था। इसका मुख्य कार्य यज्ञ, यज्ञादि विषयक शुद्ध धार्मिक कृत्य करना था। गौतम-

गृह्यसूत्र में जो हमें तथा समाज को निर्देश मिलते हैं, उन्हीं का परिपालन यह संस्था करती थी। एक और संस्था का उल्लेख भी मिलता है— सेना । आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों ने सभा और समिति का स्थान समाप्त कर दिया।

ड्रूकमियर ने सभा और समिति के पतन की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि राजाओं के अधिकार-क्षेत्रों में वृद्धि ने सभा-समिति के पतन में योग दिया और उसी काल में प्रायः धीरे-धीरे सभा-समिति का रूप बिगड़ने लगा। राजा का प्रभुत्व सभा और समिति पर छा गया। राजा को आगे चलकर दैवी शक्ति के रूप में माना जाने लगा। पर वैदिक युगीन राजा सभा और समिति के निर्णयों को क्रियान्वित किया करता था ; वास्तविक शक्ति सभा और समिति नामक संसद में निहित थी।

O O

न सा सभा यत्र न सन्ति सन्तो
न ते सन्तो ये न भणन्ति धर्मम् ।
रागञ्च दोषञ्च विहाय धर्मं
भणन्तश्च भवन्ति सन्ता . ॥

वह सभा नहीं जहाँ सज्जन नही है , वे सज्जन नही जो धर्म की बात नही करते। राग और दोष को छोड़कर धर्म की बात कहने वाले सज्जन पुरुष होते हैं।

वेद और गौ

—सत्यव्रत 'राजेश'

आर्य संस्कृति में गौ का बहुत उच्च स्थान है। वहाँ गौ को माता कहा जाता है। 'गावो विश्वस्य मातर.', सर्वदेवमयी हि गौः, गाय के रोम-रोम में देवों का वास है, आदि वाक्य विद्वान् तथा जनसाधारण की वाणी से सुने जा सकते हैं। अतः गाय का माहात्म्य आर्य संस्कृति का एक अंग है, कुछ भाष्यकारों की अज्ञानता के कारण कही-कही गाय को मार कर होम करने जैसा कुकृत्य भी वेदों में देखने को मिलता है, किन्तु यदि उन्ही मन्त्रो के ऋषिकृत भाष्य को देखा जाए तो यह मान्यता निर्मूल हो जाती है तभा यह स्पष्ट हो जाता है कि उन मन्त्रों में इसका लेश भी नही है।

वेद गाय के महत्त्व को स्वीकार करता है तथा उसे अघ्न्या न मारने योग्य तथा 'अदिति' कभी टुकडे न किये जाने वाली, आदि नामो से अभिहित करता है, वेद मे अनेक स्थलो पर गाय के न मारने अपितु रक्षा करने का विधान है, वेद के अनेक मन्त्रो तथा सूक्तों का देवता गाय है, जहाँ उसके गुणों का वर्णन तथा उसकी उपयोगिता का चित्रण किया गया है।

ऋग्वेद के एक सूक्त में गायो को महत्ता का चित्रण किया गया है। वहाँ कहा गया है कि गाएं हमारे घर मे आएं, हमारा मंगल करें, गौशाला में बैठें तथा हमारे यहा रमण करें, अनेक रूपों वाली, बछडे-बछडियों से युक्त ये गाए गौशाला मे होवे तथा ऐश्वर्य वाले गोस्वामी के लिये उषा से भी पूर्व दूध प्रदान करें[1]।

गौ रखने वाला यज्ञ करता है तथा बदले में यज्ञ करने तथा दान देने वाले को वह ऐश्वर्यो का भण्डार परमात्मा धन-धान्य से भर देता है। ऐसे याज्ञिक दाता को धन सदा मिलता है। उसके धन का कभी अपहरण नही होता, प्रभु इसे अधिकाधिक धन से बढ़ाता हुआ ऐसे स्थान पर रखता है जहाँ पाप रूप शत्रु या बाह्य शत्रु इसका कुछ भी नही बिगाड़ सकते[2]।

प्रभु ऐसी कृपा करें कि न तो हमारी गौवें नष्ट हों, न हमसे दूर हों, न उन्हें चोर पीड़ा पहुँचा सके, न शत्रु या व्याधि सता सकें, इन्हीं से देवयजन किया

जाता है तथा दान भी दिया जाता है। गोस्वामी इन गौवों के साथ सदा संयुक्त रहे[3], कितनी अपनत्व भरी प्रार्थना है गौवो के लिये वेद में, मानो कोई अपना निकट का सम्बन्धिजन हो जिसके लिये सब प्रकार की सुरक्षा की प्रार्थना की जा रही हो।

जब युद्ध के घोड़े धूल उड़ाते आएं तब भी इन गायो को कोई हानि न पहुँचे। इन्हें कभी कोई भी न मारे, कभी इनके लिये वधस्थल न बने, याजक मनुष्य के पास रहती हुई ये गौवें विस्तृत आवागमन योग्य तथा निर्भय प्रदेश में विचरें[4], गौवें रक्षणीय हैं, युद्ध के अवसर पर भी इन्हें हानि नही पहुँचनी चाहिये, इन्हें कही भी मारने के लिये न ले जाया जाना चाहिये, चाहे वह यज्ञवेदी हो अथवा सूनागृह, ये तो यज्ञकर्ता यजमान के पास रहें तथा इनके चरने के स्थान ऐसे हों जहाँ ये स्वतन्त्रतापूर्वक घूमें फिरे, साथ ही वह स्थान सब प्रकार से भय रहित हों।

गायें मेरा ऐश्वर्य है, इन्हें मुझे ऐश्वर्य के भण्डार प्रभु ने दिया है इन्ही के दूध के साथ मिलकर सोम पीने के योग्य बनता है, हे मनुष्यो, ये गाएं ही सच्चा धन हैं, मैं ऐश्वर्य-युक्त इस गोधन को हृदय तथा मन से चाहता हूँ[5], आजकल भी ग्राम्यजन गौवो के झुण्ड को धन ही कहते है, यह वेद से ही सीखा है उनके पूर्वजों ने।

हे गौवो ! तुम्हारी महिमा अद्भुत है, मैं उसका क्या बयान करूँ, तुम्हारा दूध तथा घृत आदि भी अमृत है, 'तुम कृश को बलिष्ठ बना देती हो तथा कान्ति रहित को दर्शनीय, तुम्हारे रम्भाने में भी मंगल छिपा है, तुम हमारे घर को उभयलोक के सुखों से भर दो, हम सभाओं में आपका भरपूर गुणगान करें[6]' देखा न गौवो का करिश्मा, उनका दूध, घी, दही खाकर कमजोर व्यक्ति बलिष्ठ बन गया तथा रोग आदि के कारण निस्तेज हुए व्यक्ति के भी मुख पर तेज झलकने लगा। गौवो का दूध सात्विक होने के कारण यह गोपति यज्ञ, दान तथा उपासना में मन लगा कर अपना लोक तथा परलोक सुधार रहा है। फिर वह सभाओं मे क्यों इनके गुण न गाए।

हे गौवो ! तुम खूब फलो-फूलो, बछड़े-बछड़ी तुम्हारे साथ घूमें। तुम अच्छा घास खाओ, सुखपूर्वक जल पीने के स्थान में जाकर शुद्ध जल पिओ, चोर तथा पाप-प्रशंसक का तुम पर अधिकार न हो। तुम दीर्घजीवी होवो, काल का कठोर वज्र तुमसे दूर रहे[7]।

इस पूरे सूक्त में गौवो के महत्त्व तथा उनकी उपयोगिता पर बहुत उत्तम ढंग से प्रकाश डाला गया है। इसकी अधिक व्याख्या की आवश्यकता नही है।

एक अन्य मन्त्र में गौ को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री तथा आदित्य की बहन बतलाकर उसे अमृत का केन्द्र कहा गया है। वेद का यह भी उपदेश है कि मैं तुम सब ज्ञानवान् तथा बुद्धिमान् लोगो से कहता हूँ कि इस अहिंसनीय गाय को मत मारो क्योंकि यह निरपराध है,[8] अथर्ववेद उद्घोष करता है कि निरपराध को मारने का परिणाम बड़ा भयंकर है,[9] सर पर बैठी निरपराध की हत्या तुम्हे सुख से न सोने देगी तथा जब इसका फल मिलेगा तब तुम्हे अन्दर तक रुला देगी।

यजुर्वेद में परमेश्वर से यजमान के पशुओं की रक्षा की प्रार्थना की गई है,[10] मन्त्र के पूर्वभाग में गोवाचक अघ्न्या शब्द का प्रयोग हुआ था। वहाँ गौवों की वृद्धि की प्रार्थना की गई थी,[11] गौवो की ओर संकेत करते हुए ही अन्तिम पद में उनकी रक्षा की प्रार्थना की गई है। एक मन्त्र में परमात्मा से सब दोपाए तथा चोपायों की रक्षा तथा पालना की प्रार्थना की गई है,[12] एक ऋचा में गौ हत्यारे तथा मानव-हत्यारे को देश से निष्कासन का आदेश है। जिससे वे मानव-समाज से दूर रहें, कभी निकट न आएं[13], यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि गौ हत्यारे तथा मानव-हत्यारे मे भेद नहीं किया गया है तथा दोनो को एक ही प्रकार के दण्ड का विधान है।

गौ हत्या का स्पष्ट निषेध—

वेद के अनेक मन्त्रो मे गौ हत्या का स्पष्ट निषेध मिलता है। इतना होने पर भी न जाने वेद के भाष्यकार तथा उनके अनुसरण करने वाले लोग कैसे वैदिक-काल में गौओं के मारने की बात लिख डालते हैं। कुछ मन्त्र देखिये—एक मन्त्र में कहा गया है कि हे ज्ञान रखने वाले, तू इस अखण्डनीय गौ को मत मार,[14] निघण्टु में गाय को अदिति इसी अभिप्राय से कहा गया है, यजुर्वेद में एक स्थल पर सब पशुओं के लिये अभय की प्रार्थना की गई है[15], जिसे अभयदान दिया जाए उसके मारने का निषेध स्वयं ही हो जाता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में गौवों को वधस्थल में ले जाने का स्पष्ट निषेध है[16], एक स्थान पर गौ को अखण्डनीया तथा विशेष दीप्ति वाली कह कर उसके न मारने का उल्लेख है[17], ऋग्वेद चेतावनी देता है कि कोई अल्पबुद्धि मनुष्य गाय को न मारे[18], ऐसी व्यवस्था समाज तथा राज्य की ओर से होनी चाहिये। वेद तो राजा को ऐसी व्यवस्था करने का आदेश देता है जिससे इनके राज्य में प्रजा तथा पशुओ को न कही किसी प्रकार का भय हो और न रोग[19], अपितु दो पैरों वाले तथा चार पैर वालों में सुख शान्ति बनी रहे[20]।

गौ हत्यारे को दण्ड—

वेद गौ हत्यारे को मानव हत्यारे से अभिन्न मानता है तथा दोनों को एक समान दण्ड की व्यवस्था करता है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि 'यदि तू हमारी गाय को मारता है, अश्व को मारता है या किसी पुरुष को मारता है तो हम तुझे शीशे की गोली से बेध देंगे, जिससे तू हमारा वीरघाती न बन सके[21]। मन्त्र में जहाँ गौघाती को मृत्यु-दण्ड का विधान है वहाँ एक रहस्य की बात भी है कि वह वीरघाती भी है। जब गौ आदि पशु मारे जाएँगे तब बालक तथा युवक आदि को दूध पर्याप्त मात्रा मे न मिल सकेगा परिणामतः वे दुर्बल रहेंगे। इस प्रकार गौ हत्यारा वीर हत्यारा भी है। वीरों के अभाव में शत्रु राष्ट्र को पैरों से रोंदेंगे तथा देश पराधीनता की शृंखला में आबद्ध होगा। यह सब गौघाती से होगा। अतः वेद की दृष्टि में ऐसा पापी शीशे की गोली से बीधने योग्य है। यजुर्वेद में भी गौ हत्यारे को अन्तक अर्थात् मृत्यु को सौप देने का—मृत्यु दण्ड देने का विधान है[22]।

इस प्रकार वेद गौ के महत्त्व, उपयोगिता, संरक्षण तथा उसकी वृद्धि का आदेश देता है तथा गौघातक को मृत्यु-दण्ड देने का निर्देश करता है। इतना होने पर भी जो लोग वैदिक-काल में गाय मारने या गाय का मांस खाने की बात कहते या लिखते है उनकी बुद्धि का आप्रेशन भगवान् ही करे।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि वेद में गौ शब्द पृथिवी, सूर्य-किरण, वाणी तथा धनुष की प्रत्यञ्चा आदि अर्थों में भी आता है। वहाँ गाय के घी, दूध आदि को भी गौ कहा है। अत. वेद का अध्ययन करते हुए मन्त्र के वर्णन के अनुसार विषय देखकर अर्थ करना उपयुक्त होगा न कि गौ शब्द का केवल सास्ना लाङ्गूल वाला पशु विशेष ही अर्थ करने का आग्रह वेदार्थानुमोदक होगा। तभी तो महाभारतकार कहता है—'गौवो का नाम अघ्न्या है, इन्हें कौन मार सकता है। वह संसार का अत्यन्त अहित करता है जो गाय या बैल को मारता है[23]।

१—आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे।
प्रजावती: पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसः दुहानाः ॥ ऋ० ६।२८।१

२—इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेद्ददाति न स्वयं मुषायति।
भूयो भूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये निदधाति देवयुम् ॥ वही २

३—न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति।
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ वही ३

४—न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुपयन्ति ता अभि ।
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥ वही ४

५—गावो भगो गावो इन्द्रो मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्धदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥ वही ५

६—यूयं गावो मेदयथा कृशंचिद श्रीरचित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥ वही ६

७—प्रजावतीः सूयवसरिशन्ती. शुद्धा अप. सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
मा वः स्तेन ईशत माघशंसो परिवो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ वही ६.२८.७

८—माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाम मृतस्य नाभिः ।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ ऋ० ८.१०१.१५

९—यजमानस्य पशून् पाहि ॥ यजु० १.१

१०—अनामा हत्या वै भीमा ॥ अथर्व १०.१.२९

११—आप्यायध्वमघ्न्याः ॥ यजु० १.१

१२—द्विपादव चतुष्पात्पाहि ॥ यजु० ३६.२२

१३—आरे गोहानृहा ॥ ऋ० ७.५६.१७

१४—इमं "अदिति" अग्ने माहिसीः ॥ यजु० १३.४९

१५—अभयं नः पशुभ्यः ॥ यजु० ३६.२२

१६—न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि ॥ ऋ० ६.२८.४

१७—गाँ मा हिंसी रदितिं विराजम् ॥ यजु० १३.४३

१८—गामा मा वृक्तं मर्यो दभ्रचेताः ॥ ऋ० ८.१०१.१६

१९—एपां प्रजानामेषाँ पशूना का भेर्मा रोक् ॥ यजु० १६.४७

२०—शमसह द्विपदेशं चतुष्पदे ॥ यजु० १६.४८

२१—यदि नो गां हँसि यद्यश्वं यदि पुरुषम् । तंत्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसोऽवी-
रहा ॥ अथर्व० १.१६.४

२२—अन्तकाय गोघातकम् ॥ यजु० ३०.१८

२३—अघ्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति ।
महच्चकाराकुशलं वृषं गावा लभेत्तु यः ॥ महाभारत शान्तिपर्व २६२.४७

शिक्षा, रोजगार और विकास

—बलभद्र कुमार हूजा

लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत के श्रम-अर्थशास्त्रियों के रजत-जयन्ती समारोह में सम्मिलित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुविख्यात अर्थशास्त्री गौतम माथुर। आजकल वे एप्लाईड मानव शक्ति संस्थान के निदेशक हैं।

उन्होंने अपने अध्यक्षीय-भाषण में कहा कि "आज देश में गरीब-अमीर के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता है। यदि देश को आर्थिक प्रगति करनी है तो हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर पुर्नविचार करना होगा। हमें विकास के सुनिश्चित पथ की खोज हेतु अपनी शिक्षा-नीतियों, श्रम-संगठनों, पूजी-नियोजन, कार्य-कौशल, उत्पादकता, जनसंख्या तथा मानव-शक्ति सम्बन्धी प्रश्नों को नये मानदण्डो के आधार पर तोलना होगा।

आज एक ओर तो श्रमिक-वर्ग असमानता के गर्त में पड़ा कराह रहा है, दूसरी ओर धनिक-वर्ग ऐशो-इशरत के माहौल में डूबा हुआ है; और तीसरे महत्त्वाकाँक्षी गरीब लोग गरीबी के दानव से छुटकारा पाने हेतु प्रतियोगिता की अधाधुँध दौड़ में लगे है, इसी से समाज में विस्फोट की स्थिति पैदा हो रही है।

अगले दिन शिक्षा, रोज़गार और विकास पर गोष्ठी थी। इसमें प्रो० विसादिया ने साक्षरता के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की बात कही। श्री कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षक के कार्यक्रम लचीले होने चाहिये और श्री देशपांडे ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब हमें देश के सन्मुख ठोस, व्यवहारिक कार्यक्रम उपस्थित करने चाहिएँ।

प्रो० देशपांडे की बात उठाते हुए मैंने कहा कि आक्स ब्रिज माडल पर आधारित हमारी शिक्षा-नीति में तुरन्त सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। हम केवल रोज़गार के नाकाबिल नौजवान तैयार कर रहे है और बिना सोचे-समझे सभी को कॉलिजों में प्रवेश देकर बेरोज़गारी के दुर्दिन को जरा दूर करने के अतिरिक्त कुछ भी नही कर रहे। हमने १०+२ के पाठ्यक्रम में हस्तकला के

प्रशिक्षण को नाममात्र का स्थान दिया है । इसके स्थान पर हमें दत्तचित्त होकर सभी विद्यार्थियों को ८+४ के अन्तिम चार वर्षों में किसी न किसी कला-कलाप में दक्षता ग्रहण करने के सुअवसर उपलब्ध कराने चाहिएँ जिससे १२ श्रेणी समाप्त करने पर १८ वर्ष के यह नौजवान बैंक आदि से कर्जा लेकर अपने निजी धंधों में प्रवेश कर सकें और व्यर्थ सरकारी नौकरियों के चक्कर में न फँसें।

ऋषि दयानन्द ने 'सत्यार्थप्रकाश' के दूसरे-तीसरे समुल्लास में विद्या के जिस कार्यक्रम का प्रतिपादन किया है उसके अनुसार विद्या केवल २ या ३ विषयों तक ही सीमित नही रहती। विद्या का लक्ष्य मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति कराना है। अतः वेद-शास्त्र की शिक्षा के अतिरिक्त उन्होने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा अर्थवेद की शिक्षा का विधान प्रस्तुत किया । अर्थकारी विद्या प्राप्त करने से ही जहाँ एक ओर नवयुवको की निजी समस्या हल होगी, वहाँ दूसरी ओर वह देश की अर्थव्यवस्था के विकास में समुचित योगदान दे पायेंगे।

हम देशव्यापी साक्षरता की बात तो वर्षों से करते चले आ रहे है किन्तु अभी तक इस क्षेत्र में भी वाँछित सुधार नही हुआ। इसके साथ ही कॉलिजों में प्रवेश चाहने वाले वाले युवको की बाढ से हम परेशान है । यह जानते हुए भी कि कॉलिज की शिक्षा उनके लिये विशेष लाभदायी न होगी, हम दबाव में आकर बेतहाशा कॉलिज खोलते जा रहे है। विदेशों में प्रायः १२ श्रेणी के बाद नवयुवक रोजगार में खप जाते है, कॉलिजों मे बहुत कम लोग जाते हैं। हमने बहुत से रोजगारो के लिये बी० ए०, एम० ए० की शर्त लाजमी रख छोड़ी है। इससे लोग बी० ए०, एम०ए० की डिग्री प्राप्त करना जरूरी समझते है और इसी दौड़ मे अपने जीवन के कीमती वर्ष खो बैठते है। एक ओर तो हमे विभिन्न नौकरियो के लिये क्या आवश्यक गुण चाहिएँ, उन पर नई दृष्टि से देखना होगा। पब्लिक सर्विस कमिशनों और सरकारी विभागो को सर्विस नियम यथेष्ट रूप से बदलने होंगे, जिससे व्यर्थ कॉलिजो मे प्रवेश की प्रवृत्ति थमे, दूसरी ओर हमे कॉलिज प्रवेश हेतु भी कुछ शर्तें लगानी होंगी।

एक शर्त यह हो सकती है कि जिस व्यक्ति को कॉलिज में प्रवेश करना है, वह कम से कम एक वर्ष तक राष्ट्रव्यापी साक्षरता-आन्दोलन मे स्वयसेवी के तौर पर कार्य करे तभी वह कॉलिज-प्रवेश का अधिकारी हो सकता है। इनसे हमे कई लाभ होंगे। एक तो साक्षरता-आन्दोलन के लिये असंख्य नौजवानो की फौज उपलब्ध हो जायेगी। दूसरे उन नौजवानों को देश के करोडों बदकिस्मत नागरिको के बीच कार्य करने का मौका मिलेगा और उनकी सवेदनशीलता

जागृत होगी। तीसरे जब वे कॉलिजों में प्रवेश करेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि कॉलिज-प्रवेश एक कमाया हुआ प्रिवलेज है, जो सहज में सर्वसाधारण को उपलब्ध नही है। अतः कॉलिजों में जाकर दत्तचित्त होकर विद्याध्ययन करें और व्यर्थ तोड़-फोड़ की कार्यवाही मे अपना समय और देश की अमूल्य सम्पत्ति नष्ट न करें। इस से विश्वविद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन के वातावरण मे वाँछनीय सुधार आयेगा।

साक्षरता के सबध में हमें याद रखना चाहिए कि स्त्री-शिक्षा देशोद्धार के कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। स्त्री को शिक्षित करके हम एक पूरे परिवार को शिक्षित कर देते है, और बहुधा तो दो परिवार एक स्त्री की शिक्षा से लाभान्वित होते है। अभी तक हमारा ध्यान इस ओर यथेष्ट मात्रा में नही गया।

इसके साथ ही हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कॉलिजों में कितने दिन अध्ययन-अध्यापन होता है, क्या हम वर्ष में २०० दिन कार्य करते है। आज के कैलेंडर के अनुसार यदि एप्रिल-मई मे परीक्षा होती है तो मार्च से पढ़ाई समाप्त हो जाती है। फिर कही अगस्त-सितम्बर से जाकर पठन-पाठन का कार्य होता है। फिर सरस्वती-यात्राएँ होती है, खेलकूद के कार्यक्रम रहते हैं, हड़तालें होती हैं, सो पठन-पाठन हेतु १०० दिन भी नही बचते। आखिर इस प्रकार विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर कितना उन्नत हो पायेगा ? आज अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का युग है। क्या उन्नत विदेशी देशो के शिक्षा-कार्यक्रमो पर हमने कभी नज़र डाली है ? क्या हम जानते है कि कैनाडा, इंगलैंड, जर्मनी आदि में विद्यालयों में हड़तालें नही होती है। रूस मे तो यह कानून बन चुका है। यदि आपको हड़ताल करनी है तो विद्यालय से बाहर हो जाना होगा, आप के लिये विद्यालय में कोई स्थान नही होगा। ठीक ही तो कहा है—

"सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्"

अध्यापकों के लिये तो यह नियम होना चाहिये कि काम करो और वेतन पाओ। यदि काम नही करना तो वेतन कैसा ?

आज इंसेट, टी. वी. कैसेट का युग है। इन आविष्कारों से शिक्षा के साधनों में अद्भुत क्रान्ति हुई है। शिक्षा प्रसार में इनका पूरा उपयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में साक्षरता की भी उतनी आवश्यकता नही रह जाती। महाराजा रणजीतसिंह और सम्राट् अकबर साक्षर नही थे, किन्तु विद्वान् थे, सुशिक्षित थे, बाखबर थे। आज का किसान भी इन्ही साधनों के द्वारा सुशिक्षित,

जागृत किया जा सकता है। इसके लिये विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को साफ्ट-वेयर प्रोग्राम तैयार करने होंगे, जिससे इन साधनों के द्वारा जनसाधारण के समक्ष निरन्तर सही कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहें।

एक अन्य प्रवृत्ति की ओर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, वह है सुशिक्षित, पठित समुदाय का विदेश-गमन और प्रवास। लाखों रुपये खर्च कर के हम डॉक्टर, इन्जीनियर और योग्य विद्वान् तैयार करते हैं, पर उनका लाभ उठाते है विदेशी राष्ट्र। हालात को देखते हुए उनके बहिर्गमन पर पूरी रोक तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उनकी विदेशी आय का कुछ भाग वापिस देश को पुनः प्राप्त हो, क्या ऐसा कोई प्रबन्ध नही हो सकता ? निश्चय ही हम-आप से देश के शिक्षा-संस्थानों को यथेष्ट रूप से प्रबल किया जा सकता है और इस प्रकार ऐसे विद्यार्थी किंचित् मात्र ही सही, देश के प्रति अपने ऋण से उऋण हो सकते है।

सबसे आवश्यक बात यह है कि शिक्षित-समुदाय यह महसूस करे कि देश ने उनको शिक्षित करने हेतु इतनी अमूल्य पूँजी लगाई है। उनका भी देश के प्रति कुछ कर्त्तव्य है। उनको केवल अपनी उन्नति से ही प्रसन्न अथवा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सब की उन्नति में, भलाई में, अपनी उन्नति, भलाई समझनी चाहिए।

यही सीढ़ी है– शिक्षा, रोज़गार और विकास की। इसके सभी सोपान मजबूत हो तो देश मजबूत होगा और तभी मौजूदा संकट का निवारण होगा, भविष्य सुदृढ़, सुन्दर होगा।

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥

(नीतिशतक-८४)

नीति में निपुण पुरुष चाहे निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी अपनी इच्छा-नुसार आये अथवा चली जाए, आज ही मरण हो अथवा युगान्तरों के बाद, धीर पुरुष न्याय के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते।

आर्य-समाज की शोध-दिशा

—गंगाराम गर्ग

महर्षि दयानन्द हमारे सामने इतने विविध रूपो में आये है और एक रूप ने दूसरे रूप को इतना ढक लिया है कि बहुधा हम उनके मूलस्वरूप को समझ नही पाते। यदि उनका कोई रूप युगो-युगों तक जीवित रहेगा तो वह निश्चय ही वेदोद्धारक का होगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम वेद के सही आशय को समझने का प्रयत्न किया।

अब आवश्यकता इस बात की है कि महर्षि के वेद-भाष्य को बोधगम्य बनाकर और उसकी अन्य भाष्यो से तुलना करके उसे हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं मे प्रकाशित करवाया जाये। हिन्दी मे तो बोधगम्य बनाने के लिये श्री सुदर्शन जी ने कुछ कार्य भी किया है पर अभी अन्य भाष्यों से तुलना अपेक्षित है और साथ ही उसका अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में रूपांतरण भी। यह दुःख की बात है कि अभी तक महर्षि के भाष्य को विश्व के विद्वानो ने मान्यता नही दी है। इसका यह कारण नही है कि महर्षि की भाष्य-शैली मे कुछ दोष है, बल्कि यह है कि महर्षि के भाष्य का बोधगम्य रूप विश्व के विद्वानों तक पहुँचा ही नही है। अभी तक महर्षि की भाष्य-शैली की महान् योगी अरविंद ने ही भूरि-भूरि प्रशसा की है। एक अन्य जर्मन विद्वान रॉठ (सबसे बड़े संस्कृत जर्मनकोश के वैदिक शब्दो से संबद्ध भाग के रचयिता) की यह धारणा थी कि वेद को यदि समझना है तो ब्राह्मण-ग्रंथो से दूर रहना पडेगा, क्योंकि वेद के समय मे और ब्राह्मण-ग्रंथो के रचनाकाल मे बडा भारी अंतर है, पर इसका यह अर्थ नही है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों की सर्वथा उपेक्षा की जाये। अतः सर्वप्रथम आर्य-समाज की शोध-दिशा वेद-भाष्य की ओर होनी चाहिये।

'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका', वेद भाष्य में और अन्यत्र भी महर्षि ने इस बात के पर्याप्त संकेत दिये है कि वैदिक काल मे भारत अपनी उन्नति के शिखर पर था और वही हमारा स्वर्ण युग था। वैसे भी प्रारम्भ से यह हमारी मान्यता रही है कि वेद में ज्ञान-विज्ञान का निधान है। 'वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है' यह तो आर्य समाज के नियमों के अन्तर्गत है ही। जबकि सायण आदि भाष्यकार वेदों का यज्ञपरक भाष्य करते है और वेदो से ईष्ट की प्राप्ति और

अनिष्ट का परिहार मानते हैं, महर्षि ने वेद को मनुष्य-मात्र के सम्पूर्ण जीवन से जोड़ दिया। यही वेद का वास्तविक स्वरूप था कि हमें राजनीतिशास्त्र (इस दिशा में आचार्य प्रियव्रत जी ने कार्य भी किया है), धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायन, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को बीज–रूप में वेदों में खोजना चाहिये। कौन जानता है, जैसा कि अरविंद ने भी कहा है, कि वेदों में ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हों, जहाँ आज के विज्ञान की पहुँच भी नही हुई है। जब तक यह नही होता, महर्षि की इस विषय में मान्यता और आर्य-समाज के नियम की सत्यता सिद्ध नही होती। भाँति-भाँति के ज्ञान-विज्ञान की खोज, यह आर्य-समाज की शोध-दिशा का दूसरा उद्देश्य होना चाहिये।

यद्यपि 'सत्यार्थ–प्रकाश', 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका', 'आर्याभिविनय' आदि के अंग्रेजो रूपान्तर प्रकाशित हो गये हैं, तथापि महर्षि की सभी रचनाओ का अंग्रेजी मे रूपान्तरण नही हुआ है। जिस प्रकार महात्मा गांधी की सभी रचनाएँ अंग्रेजी मे प्रकाशित हो गई है, उसी प्रकार महर्षि की सम्पूर्ण ग्रन्थावली अंग्रेजी में उपलब्ध हो, भले ही यह १५-२० खण्डो में क्यों न हो। मॉरिशस सरकार एक दयानन्द विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है। इसलिये मॉरिशस के गवर्नर–जनरल सर शिवसागर रामगुलाम को मैंने यह सुझाव भेजा था कि वे दयानन्द के सम्पूर्ण साहित्य का अंग्रेजी मे अनुवाद करने की योजना बनाएँ। महर्षि की निर्वाण शताब्दी के अवसर पर मैने अंग्रेजी भाषा में 'वर्ल्ड पसपेक्टिव्ज ऑन स्वामी दयानन्द सरस्वती' नामक ग्रन्थ लिखा था। उसमे लेख के लिये सम्पूर्ण विश्व के विद्वानो को आमंत्रित किया था। केवल ८–९ लेख विदेशी विद्वानो से प्राप्त हुए। अधिकॉश विद्वानो को दयानन्द साहित्य अंग्रेजी मे उपलब्ध नही था, इसलिये वे अपने लेख नही भेज सके। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक संस्कृत प्रोफेसर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उन्हें दयानन्द के विषय में कोई विशेष जानकारी नही है। यदि दयानन्द का भाष्य एवं अन्य रचनाएँ अंग्रेजी में उपलब्ध होती, तो यह उत्तर हमें नही मिलता।

पिछले दिनों मैने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया था कि गुरुकुल कांगडी के सस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की सभी रचनाओं का खण्डों मे प्रकाशन हो। स्वामी जी के बहुत से लेख अनेक पत्र–पत्रिकाओं मे बिखरे पड़े है। एक समय बीतने पर वे अप्राप्य हो जायेंगे। मेरा विचार है कि इस दिशा में कार्य होना चाहिये।

मेरे कहने का तात्पर्य है कि साहित्य की संरक्षता और उस पर शोध कार्य आर्य-समाज का प्रमुख उद्देश्य है। साहित्य के संरक्षण और शोध के बिना कोई भी सगठन विश्व-व्यापी नही बन सकता। ○ ○

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द

—राकेश शास्त्री

स्वामी श्रद्धानन्द जी का जन्म २२ फरवरी १८५६ को पजाब प्रान्त के प्रसिद्ध शहर जालन्धर के निकट तलवन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम नानकचन्द था, जो सूबेदार मेजर और बाद में पुलिस इन्सपेक्टर भी रहे। स्वामी जी का जन्म का नाम बृहस्पति था, किन्तु पिता ने उनका नाम मुंशीराम रखा जो संन्यास लेने से पूर्व तक रहा। संन्यास लेने के बाद ये मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानन्द हो गये। इनके तीन भाई और दो बहने थी, ये अन्तिम और छठी सन्तान थे। अतः माता-पिता एव परिजनों का इन पर पूरा प्यार रहा।

इनकी शिक्षा बनारस से प्रारम्भ हुई तथा लाहौर में वकालत की अन्तिम परीक्षा पास करने पर समाप्त हुई।

सन् १८७८ में जालंधर के सुप्रसिद्ध रईस सालगराम की सुपुत्री श्रीमती शिवदेवी के साथ इनका विवाह सम्पन्न हुआ। जिनसे इन्हे दो पुत्र (हरिश्चन्द्र और इन्द्र) तथा दो पुत्रियाँ (वेदकुमारी और अमृतकला) प्राप्त हुई। जब मुंशीराम ३५ वर्ष के ही थे तभी सन् १८९१ में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवदेवी का देहावसान हो गया। उस समय इन्द्र मात्र दो वर्ष के थे।

कुछ दिनो तक मुंशीराम जी ने नायब तहसीलदारी की, किन्तु स्वाभिमानी होने के कारण नौकरी छोडकर वकालत का स्वतन्त्र व्यवसाय अपनाया तथा फिल्लौर और जालंधर में वकालत की। किन्तु जब वकालत और नैतिक मान्यताओं मे टकराव उपस्थित हुआ तो इन्होंने अपनी चमकती हुई वकालत का परित्याग कर दिया। इन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन मे महर्षि दयानन्द के उपदेश सुने थे तथा उनसे बहुत प्रभावित थे। अतः इन्होने आर्यसमाज की सेवा का तथा महर्षि के ऋण से उऋण होने का मन में संकल्प किया और हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करने के महान् उद्देश्य को लेकर हिमालय के वनों की राह पकड़ी। तभी से ये मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम हो गये और १९०२ में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो आश्रम प्रणाली पर संचालित

वैदिक ज्ञान-विज्ञान, आदर्शों एवं राष्ट्रीय तथा विश्व-बन्धुत्व की भावनाओं से ओतप्रोत, शरीर और मन के ब्रह्मचर्य से युक्त समाज को श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करने वाला प्रथम और अनोखा विद्या का मन्दिर था। इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, यही उनका सर्वोत्कृष्ट स्मारक है। जिसकी उन्नति में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

सन् १९१७ में महात्मा मुंशीराम ने संन्यास ग्रहण किया और वे महात्मा मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानन्द हो गये। सन् १९१८ में उन्होंने गुरुकुल के स्थान पर दिल्ली को अपना निवास-स्थान बनाया और तब से लेकर जीवन पर्यन्त राजधानी उनकी विविध प्रगतियों का केन्द्र रही। उन्होंने यहीं पर जनता के सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक योग-क्षेम के लिए अनेक संस्थाएँ स्थापित की तथा अपने समय के सुविख्यात दैनिक समाचारपत्र 'तेज' और 'अर्जुन' को जन्म दिया, कुछ समय तक 'लिबरेटर' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी चलाया। उन दिनो दिल्ली को महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानन्द, डाक्टर अन्सारी और हकीम अजमल खां की दिल्ली के नाम से सम्बोधित किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि दिल्ली के सार्वजनिक-जीवन मे स्वामी जी को कितना ऊँचा स्थान प्राप्त था।

सन् १९१९ में स्वामी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में हड़ताल का आयोजन किया तथा गांधी जी दिल्ली आते हुए मार्ग में गिरफ्तार कर लिए गये तो इसके विरोध मे स्वामी जी के नेतृत्व में पीपल पार्क पर जनता एकत्रित हुई। वस्तुतः उन दिनों स्वामी जी दिल्ली के बेताज बादशाह थे। ३० मार्च १९१९ ई० को जब स्वामी जी एक बड़ी भीड के साथ घंटाघर (चांदनी चौक) के पास पहुँचे तो फौजियों ने उन्हें आगे बढने से रोक दिया तथा एक गोरखा जवान ने भीड़ पर गोली चलाने के लिए राइफल उठाई तो स्वामी जी आगे बढ़े और उस जवान तथा भीड के बीच खडे हो गये और कहा मैं खडा हूँ तुम गोली चलाओ। किन्तु कमाण्डर ने स्थिति को गम्भीरता को देखकर जवानों को हटने का आदेश दिया। इसके बाद स्वामी जी के आदेश से भीड शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो गयी।

४ अप्रैल १९१९ को मुसलमानों ने उन्हें बडा भाई कहकर और नेता मानकर भारत की सबसे बडी और विख्यात मस्जिद, जामा-मस्जिद दिल्ली के मिम्बर पर बैठाकर उनका अभूतपूर्व सम्मान किया। संसार के इतिहास में यह पहला अवसर था जब एक गैर मुस्लिम को मस्जिद की वेदि से उपदेश देने की अनुमति दी गई थी। स्वामी जी ने उस वेदि से वेद-मन्त्र द्वारा ईश्वर के माता-पिता के रूप का वर्णन किया।

८ जून १९१९ ई० को इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक मे कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर मे होना निश्चित हुआ और सम्पूर्ण दायित्व स्वामी जी को सौपा गया। यह वह समय था जब क्षत-विक्षत पंजाब अत्याचारों की दारुण वेदना से कराह रहा था तथा जलियाँवाला कांड में सैकड़ों तरुण युवा गोलियो से भून दिये गये थे। माताओं की गोद सूनी हो गयी थी तथा पत्नियो की मांग के सिन्दूर पुंछ गये थे। स्वामी जी इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष मनोनीत हुए। परन्तु स्वामी जी ने इसका सुप्रबन्ध करके इसे सफल बनाकर धैर्य, साहस, निर्भीकता और कर्मठता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वागताध्यक्ष होने के कारण स्वामी जी ने अपना स्वागत-भाषण हिन्दी मे ही पढ़ा था जो उस समय की परम्परा के विरुद्ध था। अमृतसर कांग्रेस की सफलता और यह हिन्दी भाषण कांग्रेस इतिहास की चिरस्मरणीय घटनाएँ है।

१० सितम्बर १९२२ ई० को गुरु का बाग आन्दोलन में भाग लेने के लिए स्वामी जी अमृतसर पहुँचे। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के मिम्बर की शोभा बढाने वाले आर्य संन्यासी ने अमृतसर के अकाल-तख्त की भी शोभा बढाई। वहाँ के दीवान में उन्होने दिल्ली-निवासियों की ओर से संदेश भी सुनाया। दोपहर को एक बजे वे गुरु का बाग भी गये तथा सायं साढ़े पाँच बजे अमृतसर से लौटने की तैयारी के समय गिरफ्तार करके अमृतसर जेल में बन्द कर दिये गये। ५ अक्टूबर तक मुकदमा चला और १ वर्ष ४ माह की साधारण कैद की सजा दी गई तथा मियांवाली जेल मे भेज दिये गये। किन्तु २६ दिसम्बर को ही रिहा कर दिए गए तथा जेल से बाहर आकर अमृतसर और जालंधर में व्याख्यान देकर २८ दिसम्बर को दिल्लो पहुँचे।

स्वामी जी दलितोद्धार और अस्पृश्यता-निवारण की समस्या अत्यावश्यक मानते थे। वे दलितोद्धार के कार्य को कांग्रेस के कार्य-क्रम का एक आवश्यक अंग बनाने के लिए प्रयत्नशील थे, किन्तु वर्किंग कमेटी ने ऐसा करना स्वीकार न किया, इस पर उन्होने कांग्रेस से त्याग-पत्र दे दिया और दिल्ली में १९२१ में दलितोद्धार सभा की स्थापना करके इस कार्य को संगठित रूप से करना प्रारम्भ किया, जिसमे उन्हे बड़ी सफलता मिली।

अमृतसर कांग्रेस के बाद के वर्षों को उन्होंने मुख्यतः अस्पृश्यता निवारण, दलितोद्धार एवं आर्य संगठन के कार्यों में व्यतीत किया। २३ दिसम्बर १९२६ को एक मतान्ध मुसलमान की गोली से उनके जीवन का दुःखद किन्तु वीरोचित अन्त हुआ। वे शहीद हो गये।

महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विषय में उद्‌गार प्रकट करते हुए कहा था— "वह कर्मवीर थे। अपने धार्मिक विश्वास में अटल थे। वह

श्रद्धा, सत्य और वीरता के मूर्तिमान् प्रतीक थे। वह योद्धा थे..... ..... उन्होंने एकमात्र सत्य के लिए भारतमाता की वेदि पर अपना जीवन समर्पित किया था।"

भारतमाता के इस देशभक्त और सपूत की दुःखद मृत्यु से जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। उनका जीवन अपने देश और धर्म की सेवा के लिए अर्पित रहा। उन्होंने निर्भीकता और दृढ़ता के साथ सदैव असहायों, पीड़ितों, पतितों और दीन-दुखियों को सहारा दिया। उनका आदर्श जीवन हम सबके लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः ।
यदा किञ्चित्किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥
(नीति ७–८)

जब मैं थोड़ा जानता था तब मैं हाथी के समान मदान्ध था। उस समय 'मै सर्वज्ञ हूँ' इस प्रकार मेरा मन गर्वित रहता था। जब मैंने विद्वानों से क्रमशः थोड़-थोड़ा ज्ञान पाया तब 'मै मूर्ख हूँ' इस प्रतीति से मेरा मद ज्वर के समान हट गया।

हिमालय की अमृत-चेतना

—विश्वनाथ मिश्र

अरे ओ हिमालय !
तुम्हारे इस हिमाच्छादित माथे पर—
बालारुण की किरणों को—
खिलते हुए देखकर
मुझे लगता है—
वह कविमनीषी
चांदी के कागज पर
सोने के अक्षरों में—
कोई मधुर कविता लिख रहा है ।
तुम्हारे शिखरों से उतरती हुई—
इन अनन्त धाराओं को देखकर
और उनकी—
अदम्य जिजीविषा का संचार करने वाली—
लहरों की वाणी को सुनते हुए
लगता है, जैसे वे विश्व-द्रष्टा ऋषि—
वैदिक ऋचाओं का पाठ कर रहे है ।
तुम्हारे इस परम रमणीय प्रांगण में—
आकाश से जो यह इन्द्रधनुषी—
निर्झर उतर रहा है
लगता है—जैसे ऋग्वेद के विभिन्न मंडलो के—
विविध छन्दों की वर्षा हो रही है ।
देवदारु, चीड़, वरुण, भोज, सेब
आदि के वृक्षों पर जो चिड़ियाँ बोल रहीं हैं :
लगता है जैसे—
सामवेद के सरगम का समवेत गायन हो रहा है ।
तुम्हारी उपत्यकाओं में
सीढ़ीनुमा—इन नीचे उतरते हुए खेतो को देखकर
लगता है जैसे वे
भागीरथी की उस पावन धारा में नहाने को आतुर
उदात्त आकांक्षाओं के यात्रियों से—
आगे बढ़े आ रहे हैं ।

उन खेतों में —
उज्ज्वल तन और उज्ज्वल मन के —
उन भोले-भाले किसानों को काम करते हुए देखकर
लगता है जैसे वे
बड़े पवित्र मन से —
यजुर्वेद के अग्निहोत्र में लगे हुऐं हैं।
अरे ओ महामहिम गिरिवर !
तुम्हारे शिखरों, घाटियों, हिमनन्दों, निर्मल निर्झरों, सघन कान्तरों
आदि के बीच विचरते हुए
मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा मन
जीवन के अथर्ववेद का वाचन कर रहा है।
अरे ओ गिरिराज !
अद्भुत हो तुम
असाधारण है तुम्हारा सम्मोहन
और विलक्षण है तुम्हारा मनःप्रभाव
तभी तो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ
यह मामूली आदमी
उन दिव्यातिदिव्य प्रज्ञा से सम्पन्न
असीम सुमेधा के धनी
महामना ऋषियों की
अमृत वाणी सुन रहा है।
बड़ा विचित्र है यह बोध
बड़ा निराला है यह अनुभव
और बड़ी अनोखी है यह अनुभूति
तभी तो मै श्रद्धा की भावना से ओतप्रोत
विनय की चेतना से अनुप्राणित
और आत्म-समर्पण के विज्ञान में घिरा हुआ
तुम्हारे सामने—
दोनों हाथ जोड़े हुए नत सिर खड़ा हूँ —
आत्म-साक्षात्कार से आनन्द विभोर।

गतांक से आगे–

स्फोटवाद

– विजयपाल शास्त्री

अर्थ का वाचक शब्द का तृतीय प्रकार पदस्फोट है। आचार्य विज्ञानभिक्षु के अनुसार स्फोट की प्रक्रिया इस प्रकार है : वर्णों के आठ स्थान हैं– उर स्थल, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, ओष्ठ और तालु। सर्वप्रथम उक्त आठ स्थानों में से किसी स्थानविशेष के साथ उदानवायु के अभिघात नामक संयोग से तत्तद् वर्णों की उत्पत्ति होगी। फिर प्रत्येक वर्ण को ग्रहण करने वाला एक-एक श्रावण प्रत्यक्ष होगा। पुनः तत्तत् श्रावण प्रत्यक्ष से तत्तद् वर्णविषयक एक-एक संस्कार होगा। तत्तत् सस्कार से पदविशेषघटक समस्तवर्णविषयक स्मृति उत्पन्न होगी। उस स्मृति से युक्त अन्तःकरण से गकार-ओकार विमर्जनीय रूप आनुपूर्वी से युक्त गोपदात्मक पदस्फोट का मानस प्रत्यक्ष होगा। उस पदस्फोट-विषयक ज्ञान से अर्थ की स्मृति होगी।

आचार्य विज्ञानभिक्षु और वाचस्पति मिश्र मे पदस्फोट के विषय में मतभेद है। आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार तत्तद् वर्ण संस्कारसहकृत श्रोत्रेन्द्रिय से पदस्फोट का प्रत्यक्ष होता है, जबकि विज्ञानभिक्षु के अनुसार उक्त संस्कारजन्य स्मृतिसहकृत अन्तःकरण से पदस्फोट का प्रत्यक्ष होता है।

उपर्युक्त त्रिविध शब्दों मे पदाख्य शब्द स्फोट इसलिए कहलाता है क्योंकि वह अर्थ के स्फुटीकरण का हेतु है। यह स्फोटाख्य पद गकारादि वर्णों से भिन्न एवं अभिन्न उभय रूप है। आचार्य विज्ञानभिक्षु कहते है–"तच्च स्फोट-पदं गकारादि वर्णेभ्यो भिन्नाभिन्नं भेदाभेदयोरनुभवात्"। अर्थात वर्ण और पदों में भेद और अभेद दोनों का अनुभव होने से पद और वर्णों में भेद और अभेद दोनो ही है, जिस प्रकार अवस्था और अवस्थावान् मे भेद और अभेद है, बीज-अंकुर, शाखा-पल्लव आदि अवस्थाएँ अवस्थावान् वृक्ष से भिन्न और अभिन्न उभय रूप हैं।

स्फोट के सद्भाव में सन्देह नहीं होना चाहिये। "गो' यह एक पद है"– इस प्रकार का व्यवहार स्फोट की सिद्धि मे प्रमाण है। वर्ण अनेक हैं, अतः उनमें

एकत्व-व्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक वर्ण में अर्थ-प्रत्यायन की शक्ति निहित नही है, इसलिये अर्थज्ञान का कारण होने से भी स्फोट की सिद्धि होती है।

यहाँ पूर्वपक्षी आक्षेप कर सकता है— आनुपूर्वीविशिष्ट समूह के एक होने से 'गो' यह एक पद है –इस प्रकार का एकत्व-व्यवहार उपपन्न हो सकता है। अतः आनुपूर्वीविशिष्ट वर्णसमूह ही अर्थप्रत्यायन का हेतु स्वीकार किया जाए। इसके लिए व्यर्थ स्फोट की कल्पना क्यों की जाए ?

आचार्य विज्ञानभिक्षु ने उक्त आक्षेप का बहुत ही सटीक उत्तर दिया है। उनका समाधान है कि यदि आनुपूर्वीविशिष्ट वर्गसमूह के अतिरिक्त पद को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो सयोगविशेष से अवच्छिन्न मृत्कणसमूह के एक होने से उसी के द्वारा जलाहरणादि क्रियाएँ होने लगेंगी। परिणामस्वरूप घटादि अवयवी का उच्छेद हो जायेगा। पूर्वपक्षी को यह स्वीकार्य नही होगा। अतः जिस प्रकार संयुक्त मृत्कण समूह से जलाहरण आदि कार्य नही हो सकते, उसी प्रकार आनुपूर्वीविशिष्ट वर्णसमूह अर्थ का प्रत्यायन नही करा सकता। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पद वर्णो से पृथक् है, एक प्रयत्न से उत्पाद्य है, नाद से अभिव्यंग्य है तथा अन्तःकरण से ग्राह्य है। यह पद ही अर्थज्ञान का कारण होने से स्फोट कहलाता है। अतः वर्णभिन्न वर्णात्मक और स्फोटात्मक ये त्रिविध शब्द विज्ञानभिक्षु को मान्य हैं।

स्फोटात्मक शब्द में प्रमाण

'गो' यह एक पद है— इस प्रकार का ज्ञान या व्यवहार शब्द को स्फोटात्मक सिद्ध करता है। केवल वर्ण में यह ज्ञान उपपन्न नही हो सकता, क्योंकि प्रयत्नभेद से उच्चारण किए गए वर्णों में जब तक कोई एक अभिन्न वस्तु अनुस्यूत नही होगी तब तक 'यह एक पद है' इस प्रकार की सर्वसिद्ध अबाधित रूप से होने वाली प्रतीति कभी नही हो सकती। जब तक अनेक पुष्पों में एक धागा अनुस्यूत होकर उन्हे नही जोडेगा तब तक 'यह माला है इस प्रकार का ज्ञान नही हो सकता। अत. स्फोटात्मक शब्द मे उक्त लोकानुभव प्रमाण है।

स्फोट की अभिव्यक्ति में क्रमिकता

योग के व्याख्याकार पदस्फोट की अभिव्यक्ति क्रमशः स्वीकार करते हैं, अर्थात् पदस्फोट की अभिव्यक्ति एक काल मे नही होती बल्कि प्रथम वर्ण के श्रवण से स्फोट की अस्फुट प्रतीति होती है, तदनन्तर वह द्वितीय, तृतीय आदि वर्णों से स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम होता जाता है।[1] यद्यपि प्रत्येक वर्ण

किंचिन्मात्र स्फोट को अभिव्यक्त करता है तथापि अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक स्पष्ट-रूप से स्फोट का अभिव्यंजक नही होता। पूर्व-पूर्व अभिव्यक्ति से उत्पन्न संस्कारों के साथ अन्तिम वर्ण ही स्पष्ट रूप से स्फोट को अभिव्यक्त करता है। इस लौकिक दृष्टान्त से इसे सुगमता से समझा जा सकता है। दूर पर स्थित वृक्ष प्रथम दृष्टिपात में स्थूलता आदि सादृश्य दोष के कारण हाथी प्रतीत होता है किन्तु आगे बढ़ने पर इस अस्पष्ट ज्ञान के बाद वनस्पति का स्पष्ट ज्ञान होने लगता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि योगदर्शन के व्याख्याकार पद के प्रत्येक वर्ण में अर्थ-प्रत्यापन की शक्ति स्वीकार करते हैं।

पद में वाक्यार्थ-बोधन का सामर्थ्य

योग के व्याख्याकार कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक वर्ण में अर्थबोधक पद बनने की शक्ति रहती है उसी प्रकार प्रत्येक पद में वाक्यार्थबोधक वाक्य बनने का सामर्थ्य रहता है। वाचस्पति मिश्र ने पद में वाक्य-शक्ति को स्पष्टतः स्वीकार किया है- "सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्ति[२]।"

पद दो प्रकार से वाक्यार्थ का बोध कराता है : अध्याहार के द्वारा और स्वरूपयोग्यता के द्वारा। उदाहरण के लिये- 'वृक्षः' पद के उच्चारण से 'अस्ति' क्रिया का अध्याहार किया जाता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ सत्ता के बिना कभी नहीं रहता। कोई भी कारक क्रियापद के बिना नही रह सकता, अतः कारक-पद में वाक्यार्थ-बोधन का सामर्थ्य है।

कारकपद के समान क्रियापद भी कारकपद के बिना नही रहता। अतः क्रियापद के श्रवण से कारकपद का अध्याहार कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ 'पचति' कहने पर कर्त्ताकारक 'देवदत्त' का अध्याहार किया जाता है। इस प्रकार क्रियापद और कारकपद दोनो में वाक्यार्थबोधन की योग्यता रहती है।

पदों में वाक्यार्थ-बोधन की स्वरूपयोग्यता भी है। कुछ पद ऐसे भी हैं जो क्रिया या कारक की अपेक्षा के बिना भी वाक्यार्थ का बोध कराते हैं। जैसे 'श्रोत्रियः' यह एक ही पद पूरे वाक्य का अर्थबोध करा रहा है। 'श्रोत्रियः' का अर्थ है— यह वेद का अध्ययन करता है। इसी प्रकार 'जीवति' यह क्रियापद

१- केवल भागानुभवेन पदमव्यक्त मनुभूयते अनु संहारधिया तु
भागानुभव योनि संस्कार लब्ध जन्मना व्यक्त मिति विशेषः।
(तत्त्ववैशारदी, पृ० ३२३)

२- तत्त्ववैशारदी, पृ० ३२८

इस वाक्यार्थ का बोध करा रहा है कि 'यह प्राणों को धारण करता है'। वाचस्पति मिश्र ने अस्पष्टतः और विज्ञानभिक्षु ने स्पष्टरूप से पदस्फोट के समान वाक्यस्फोट को स्वीकार किया है[1]।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि पातञ्जल योगसूत्र में स्फोटवाद के बीज निहित हैं, जिसके स्वरूप को मनीषी व्याख्याकारों ने सरल भाषा में जिज्ञासु पाठकों के लाभार्थ प्रकाशित किया।

× × ×

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

मनु० ५।१०९

शरीर जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य से शुद्ध होता है। मनुष्य की आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है।

१- नन्वेवं युक्तिसाम्याद् वाक्यमपि स्फोटरूपं एकैकं स्याद् इति चेद्? बाधकाभावे सतीष्टत्वात्। (योगवार्त्तिक, पृ० ३२५)।

पुस्तक-समीक्षा

पुस्तक-परिचय	—	**वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त (तीन भाग)**
लेखक	—	**आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति** पूर्व-कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
प्रकाशक	—	मीनाक्षी प्रकाशन, बेगम ब्रिज, मेरठ
पृष्ठ संख्या (तीनों भाग)	—	१५००
मूल्य	—	२४० रुपये
समीक्षक	—	बलभद्र कुमार हूजा

'वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ एक अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ है। भारतीय आर्य-परम्परा में सभी ऋषि-मुनि और आचार्य वेद को विविध विद्या-विज्ञानो से युक्त मानते आये है। महर्षि व्यास और आचार्य शंकर की सम्मति में तो वेद इतना अधिक ज्ञान-विज्ञान का सागर है कि उन्होने वेद की विद्यमानता को ईश्वर की सिद्धि में एक युक्ति के रूप में उपस्थित किया है। उनकी सम्मति मे वेद का रचयिता सर्वज्ञ परमात्मा ही हो सकता है। मनु ने कहा है कि वेद को जानने वाला व्यक्ति सेनाओ का संघटन और संचालन कर सकता है, राज्यों का संचालन कर सकता है, न्याय-व्यवस्था का सचालन कर सकता है, और सारी धरती के विशाल राज्य का भी संचालन कर सकता है। ऐसा कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नही है, जिसमें वेद के आधार पर और वेद के अपने शब्दों में वेद में वर्णित किसी विद्या-विज्ञान को प्रदर्शित किया गया हो। प्रस्तुत ग्रन्थ में वेद के आधार पर और वेद के अपने शब्दो में वेद मे वर्णित राजनीति-विज्ञान को विस्तृत रूप में दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वेद में सर्वांगपूर्ण राजनीति शास्त्र का वर्णन है।

ग्रन्थ के संविधान काण्ड, अभ्युदय काण्ड और प्रतिरक्षा काण्ड में तीन भाग हैं। ग्रन्थ मे छोटे माण्डलिक राज्यों से लेकर सारी धरती के चक्रवर्ती राज्य (विश्वराज्य) तक के निर्माण, उनकी संसदों, मंत्रीमण्डल, चुनाव-पद्धति, प्रजा-तन्त्र का स्वरूप, न्याय-व्यवस्था, स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार, उदार राजनीति,

ममाज का संघटन और उसकी आर्थिक व्यवस्था, प्रजाओं के सुख-समृद्धि के उपाय, राष्ट्रवासियों का परस्पर प्रेम, सहयोग और सद्‌भाव, राष्ट्रों को पतन से बचाने के उपाय, सैन्य संघटन, शस्त्र- अस्त्र, और युद्धनीति आदि अनेकानेक विषयों के सम्बन्ध में वेद के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। यह ग्रन्थ लेखक के २५ वर्ष से भी अधिक समय के अध्ययन, अनुसंधान और चिन्तन का परिणाम है तथा अपने प्रकार का सर्वथा मौलिक और पहला ग्रन्थ है। सारे वैदिक-साहित्य में इस प्रकार का दूसरा ग्रन्थ नहीं है।

वेद में अनेक ऐसे राजनीतिक तत्त्व वर्णित पाये जाते हैं जिनसे आज का राजनीतिक जगत् भी लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिये वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि "जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथ्वी यथौकसम्, सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती" अर्थात् यदि कभी किसी राष्ट्र में अनेक भाषाओं को बोलने और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहने लग जायें तो उन्हें इस प्रकार परस्पर प्रेम से मिल कर रहना चाहिये जिस प्रकार एक घर के लोग प्रेम से मिल कर रहा करते है। ऐसा करने से राष्ट्र की भूमि राष्ट्रवासियों के लिये धन-सम्पत्ति और कल्याण-मंगल की हजारों धाराओं को बहाने लगेगी, जिस प्रकार दुधारू गाय दूध की धारायें बहाती है। भाषाओं और धर्मों के नाम पर बुरी तरह अशान्त और संकट-ग्रस्त आज के भारत के लिये वेद का यह उपदेश कितना सामयिक और उपयुक्त है। इस प्रकार वेद के राजनीति विज्ञान को अपने इस ग्रन्थ में उद्‌घाटित करने और उसे जनता के सम्मुख लाने के प्रयत्न द्वारा लेखक ने प्राणिमात्र की महाती सेवा की है।

महान् हुतात्मा दिवंगत श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के चरणों में बैठकर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार मे लेखक ने जो दीर्घकाल तक संस्कृत और वैदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है, उसी का परिणाम यह विशाल मौलिक ग्रन्थ है।

× × ×

पुस्तक का नाम	—	**सत्यदेव परिव्राजक : व्यक्तित्व एवं साहित्यिक कृतित्व**
लेखक का नाम	—	**डॉ० दीनानाथ शर्मा**
प्रकाशक	—	राजपाल एण्ड सन्ज़, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६
पृष्ठ संख्या	—	२६६, साइज – ८"×६"
मूल्य	—	४० रुपये।
समीक्षक	—	राकेश शास्त्री

इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने जीवन के अनुभवों तथा प्रतिभा द्वारा समाज का, राष्ट्र का मार्ग-निर्देशन करते हैं और अपनी लेखनी के प्रसाद से साहित्य को समृद्ध करते हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक इसी प्रकार के महापुरुषों में से हैं। उन्होंने पञ्जाब से लेकर तिरुचापल्ली तक हिन्दी भाषा का पताका को फहराया और अपनी प्रबुद्ध मेधा से कविता, कहानी, निबन्ध, जीवनी, यात्रा-वृत्तान्त आदि हिन्दी-साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध किया।

स्वामी सत्यदेव जी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे ; उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर, पूर्ण समर्पणभाव से हिन्दी साहित्य की सेवा की। अपने सम्पूर्ण जीवन की अर्जित सम्पत्ति भी अन्त मे उन्होने 'सत्य ज्ञान निकेतन' की स्थापना के अनन्तर नागरी प्रचारिणी सभा को दान देकर अपनी सात्विक-त्याग भावना का परिचय दिया।

इस प्रकार के महान् व्यक्तित्व पर लेखनी उठाना तथा उनके उत्कृष्ट साहित्य की समालोचना करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। डॉ० दीनानाथ शर्मा ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य को दायित्व के साथ पूर्ण किया है ; इस प्रशंसनीय कार्य के लिए वे हार्दिक बधाई के पात्र है।

इस ग्रन्थ को लेखक ने नौ अध्यायों में विभक्त किया है, प्रथम अध्याय में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का विस्तृत परिचय दिया है। द्वितीय अध्याय में उनके निबन्ध-साहित्य का परिचय देते हुए उसका संक्षिप्त विवेचन किया है। तृतीय अध्याय में उनकी लेखन-शैली के १३ प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनका सोदाहरण विश्लेषण किया है, इसी अध्याय में उनके शब्द-चयन पर भी विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय में परिव्राजक जी की लेखन-कला का विवेचन किया गया है। पञ्चम अध्याय में उनके यात्रा-साहित्य का उल्लेख करते हुए उसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जो अत्यन्त मौलिक बन पड़ा है। षष्ठप

अध्याय में उनके जीवनी तथा कथापरक साहित्य का मूल्यांकन हुआ है। सप्तम अध्याय में उनकी कहानियों का संक्षिप्त परिचयपूर्वक विस्तृत विवेचन है। अष्टम अध्याय में उनके काव्यपक्ष तथा भावपक्ष पर विचार हुआ है तथा नवम् अध्याय मे परिव्राजक जी द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार और सेवाएँ शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी और ईसाई प्रचारक, हिन्दी और ब्रह्मसमाज, काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी सम्मेलन, गुरुकुल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ तथा डी०ए०वी० कालेजों को उनका योगदान, भारतेन्दु और उनका मित्रमण्डल, दक्षिणी भारत तथा पञ्जाब में उनके द्वारा हिन्दी प्रचार आदि विषयों का प्रतिपादन है। अन्त मे उपसंहार के पश्चात् परिव्राजक जी के साहित्य का काल-क्रमानुसार उल्लेख करते हुए तीन पृष्ठों में सहायक-ग्रन्थों की सूची दी गई है। वस्तुतः लेखक ने परिव्राजक जी के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक उपलब्धियों का इस पुस्तक मे अधिकारिक विवेचन किया है।

राजपाल एण्ड सन्ज़ जैसे प्रतिष्ठित काप्रशक द्वारा पुस्तक का प्रकाशित करना ही इस बात का द्योतक है कि कार्य अत्यन्त उत्तम तथा जिज्ञासु अध्येताओं के लिए पठनीय तथा संग्रहणीय है। कागज़ तथा मुखपृष्ठ अत्यन्त उत्कृष्ट एवं आकर्षक बन पड़ा है।

गुरुकुल-समाचार

प्रस्तुतकर्त्ता : राकेश शास्त्री

११ जून, १९८४ को मान्य कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय पुस्तकालय में योजना-पटल की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें छटी पञ्चवर्षीय योजना में वि०वि अनुदान आयोग से प्राप्त योजनाओ के शीघ्राति-शीघ्र क्रियान्वयन का निर्णय किया गया तथा सप्तम पञ्चवर्षीय भावी विकास-योजनाओं को प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया।

जुलाई, १९८४ में वि०वि० पुस्तकालय में परीक्षा-सुधार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमे वि०वि० के सभी अध्यापको ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस संगोष्ठी में परीक्षा-प्रणाली मे सुधार के उपायो पर विचार-विमर्श हुआ।

४-५ अगस्त, १९८४ को श्री वेदप्रकाश शास्त्री तथा डॉ० जयदेव वेदालंकार गुरुकुल टटेसर, जोनती (दिल्ली) को मान्यता प्रदान करने हेतु निरीक्षणार्थ गये।

११ अगस्त, १९८४ को विश्वविद्यालय की अमृत-वाटिका में मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में संस्कृत-दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। समारोह का प्रारम्भ वैदिक मन्त्रों के पाठ तथा यज्ञ से हुआ। श्री प्रेमचन्द्र शास्त्री के संयोजकत्व में सम्पन्न समारोह मे विभिन्न वक्ताओं ने संस्कृत-भाषा एवं साहित्य के महत्त्व का प्रतिपादन किया और सामाजिक एवं धार्मिक एकता के लिए उसके प्रचार-प्रसार पर बल दिया। इसी दिन गुरुकुल-विद्यालय के ब्रह्मचारियो का वेदारम्भ-संस्कार भी मनाया गया। प० सत्यकाम विद्यालङ्कार जी (आचार्य, गुरुकुल-विद्यालय) ने उन्हें दीक्षा दी और उनके प्रति उपदेश किया। अपने संप्रेरक एवं विचारोत्तेजक भाषण में मान्य कुलपति जी ने छात्रो एवं शिक्षको से अपने दैनन्दिन जीवन मे संस्कृत-भाषा के उपयोग का आग्रह किया। उन्होने छात्रों को पारितोषिक-वितरण भी किया।

१३ अगस्त, १९८४ को डॉ० त्रिगुण सेन की अध्यक्षता में वेदमन्दिर में वन-महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। इसका संयोजन डॉ० विजय शंकर (अध्यक्ष,

वनस्पतिविज्ञान विभाग) ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने वृक्षों के संरक्षण एवं उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

१५ अगस्त, १९८४ को गुरुकुल विद्यालय की अमृत-वटिका में मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में स्वतन्त्रता-दिवस का समारोह वर्षा की रिमझिम में भी सोल्लास मनाया गया। यज्ञ के उपरान्त मान्य कुलपति जी ने ध्वजारोहण किया। विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने सुमधुर गीतो से वातावरण को सगीतमय बना दिया। कुलसचिव श्री वीरेन्द्र अरोडा ने राष्ट्र के प्रति सदेश का वाचन किया। अन्त में मान्य सभापति, पं० सत्यकाम विद्यालंकार तथा कैप्टन देशराज द्वारा क्रमशः आशीर्वाचन, उद्बोधन तथा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। समारोह का सयोजन श्री प्रेमचन्द्र शास्त्री (अध्यापक, गुरुकुल विभाग) ने किया। इस अवसर पर गुरुकुल तथा वि०वि० के अध्यापको ने प्रतिज्ञाएँ की—

सैंतीसवें स्वतन्त्रता दिवस (पन्द्रह अगस्त) के राष्ट्रिय महापर्व के अवसर पर हम गुरुकुल और विश्वविद्यालय के अध्यापक निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ करते हैं—

१—हम सदा राष्ट्रिय सविधान का आदर करने की प्रतिज्ञा करते है।

२—राष्ट्रिय-ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे और उसके सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए उद्यत रहेगे।

३—आतकवाद और राष्ट्रद्रोह एव राष्ट्र-एकता के लिए प्रत्येक प्रकार का बलिदान करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहेंगे।

४ गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय की उन्नति और ख्याति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगे।

५—इस विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल के नियम तथा उपनियमों का तत्परता से पालन करेंगे।

६—प्रतिदिन नियतवेश धारण करके विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल में अपने कार्य पर उपस्थित होंगे।

७—आर्यसमाज के सिद्धान्तों का पालन करेंगे तथा इसके प्रचारार्थ अधिक से अधिक समय देंगे और आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। गुरुकुल के ब्रह्मचारियो की उन्नति के लिए तन, मन, धन से सहयोग करेंगे।

२१ अगस्त, १९८४ को अमृत-वाटिका में योगेश्वर कृष्ण के जन्म-दिवस को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में उल्लास के साथ मनाया गया। इसका संयोजन श्री प्रेमचन्द्र शास्त्री ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने कृष्ण-विषयक प्रेरक-प्रसगों पर अपने ओजस्वी भाषण एवं गीत प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त डॉ० राकेश शास्त्री (संस्कृत विभाग) ने योगेश्वर कृष्ण की

विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। समारोह के अन्त में धनुर्विद्या के अभ्यास का भी उद्घाटन किया गया।

३० अगस्त, १९८४ को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षक-कक्ष में महर्षि दयानन्द व्याख्यान-माला का सूत्रपात किया गया। इस शृंखला मे डॉ० विष्णुदत्त 'राकेश' (हिन्दी-विभाग) के संयोजकत्व में डॉ० भवानीलाल भारतीय (अध्यक्ष-दयानन्द पीठ, पञ्जाब वि०वि०, चन्डीगढ़) का 'आर्य समाज की उपलब्धियाँ तथा सीमाएँ' विषय पर प्रथम व्याख्यान हुआ। जिसमें गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर; बी० एच० ई० एल०; वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर तथा हरिद्वार की संस्थाओं से भी बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान में डॉ० भारतीय ने आर्यसमाज का इतिहास तथा वर्तमान स्थिति पर दृष्टि डालते हुए, आर्य समाज मे आए दोषों को दूर करने के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने श्रोताओ को विविध शकाओं का भी समाधान किया। मान्य कुलपति के अध्यक्षीय भाषण से सभा समाप्त हुई।

३ सितम्बर, १९८४ को श्री ज्ञानचन्द रावत (प्रवक्ता, हिन्दी विभाग) की पी-एच०डी० उपाधि हेतु मौखिकी परीक्षा सम्पन्न हुई। उन्होने डॉ० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग) के निर्देशन मे 'हरिऔध के महाकाव्यो का सामाजिक एवं शास्त्रीय अध्ययन' विषय पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मे प्रबन्ध प्रस्तुत किया था।

४ सितम्बर, १९८४ को कुलपति जी की अध्यक्षता में वि०वि० पुस्तकालय मे शिक्षा-पटल की बैठक सम्पन्न हुई।

५ सितम्बर, १९८४ को गुरुकुल विद्यालय के प्रार्थना-भवन में मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता मे डॉ० एस० राधाकृष्णन् स्मृति-दिवस तथा शिक्षक-दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार (परिद्रष्टा, गुरुकुल कांगड़ी वि०वि०) ने मुख्य-अतिथि का पद सुशोभित किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने डॉ० राधाकृष्णन् के श्रद्धापूर्वक स्मरण के साथ शिक्षको के दायित्वो पर प्रकाश डाला तथा उनकी सामाजिक सम्मानास्पदता पर बल दिया। मान्य अतिथि ने ब्रह्मचारियों को सम्बोधित करते हुए उन्हें देश की व्यवस्था मे योगदान करने तथा ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्ति का प्रयास करने को कहा। सम्मान्य अध्यक्ष ने शिक्षकों के उद्बोधन के साथ-साथ भारतवर्ष के पूर्व-राष्ट्रपति तथा विश्व के ख्यातनामा महान् दार्शनिक डॉ० राधाकृष्णन् के भारतीय धर्म एव दर्शन और विश्व-शान्ति के क्षेत्र मे योगदान का प्रतिपादन

किया तथा अपने जीवन के प्रेरक संस्मरण सुनाते हुए, छात्रों को गुरुओं का सम्मान करने की प्रेरणा दी। अन्त में पण्डित सत्यकाम विद्यालंकार, आचार्य, गुरुकुल-विद्यालय के आशीर्वचनों के साथ सभा समाप्त हुई।

५ सितम्बर, **१९८४** को मान्य कुलपति जी के प्रयास से विश्वविद्यालय में डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार (परिद्रष्टा, गुरुकुल कागड़ी वि०वि०) के कर-कमलो द्वारा एक स्वास्थ्य-केन्द्र का उद्घाटन किया गया। इस केन्द्र का उद्देश्य वि० वि० एवं गुरुकुल विद्यालय के छात्रो एव कर्मचारियो को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है।

८, ९ सितम्बर, **१९८४** को दर्शन-विभाग के तत्त्वावधान में उत्तरप्रदेश दर्शन परिषद् तथा मानवोय मूल्यो का समाज में अन्तःसम्बन्ध विषय पर अखिल भारतीय दर्शन सम्मेलन का, वेद मन्दिर मे डो० जयदेव, अध्यक्ष, दर्शन विभाग के निर्देशन मे संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। इसमें भारतवर्ष के लगभग सभी वि०वि० के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पारित सस्तुतिया अगले पृष्ठों पर देखिए।

२० सितम्बर, १९८४ को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में विज्ञान-महाविद्यालय में प्रो० ओमप्रकाश सिन्हा बलिदान-दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वि० वि० के सभी छात्रो एव अध्यापको ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री सुरेशचन्द त्यागी, डॉ०भारतभूषण विद्यालंकार, पं. सत्यकाम विद्यालंकार, श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी तथा डॉ० जबरसिह सेंगर ने सिन्हा जी के सम्बन्ध में मधुर स्मृतियो का कथन करते हुए, उन्हें भावभीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की तथा गुरुजन एव शिष्यो में पारस्परिक सद्भाव तथा सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध की स्थापना पर जोर दिया। अन्त मे मान्य कुलपति ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे वर्तमान समय मे छात्रो के दायित्व पर प्रकाश डाला। इसका सयोजन श्री सुरेशचन्द त्यागी (प्राचार्य, विज्ञान महाविद्यालय) ने किया।

२४ **सितम्बर, १९८४** को मान्य कुलपति श्री बलभद्रकुमार हूजा की अध्यक्षता मे गुरु विरजानन्द-दिवस, वेदमन्दिर में उल्लास के साथ मनाया गया। इसका सयोजन श्री वेदप्रकाश शास्त्री एवं श्री प्रेमचन्द शास्त्री ने किया। इस अवसर पर ब्रह्मचारियों ने स्वामी विरजानन्द जी के विषय में अपने मधुर गीत प्रस्तुत किए तथा ऋषिपाल,ब्र० जगदीश, अतुल तथा नितिन कुमार ने स्वामी जी के जीवन के रोचक प्रसंगों पर प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त पं० भगवद्दत्त, श्री रामप्रसाद वेदालंकार,, डॉ० राकेश शास्त्री, डॉ० त्रिलोकचन्द तथा ऋषिपाल (वेदालंकार-प्रथम वर्ष) ब्र० हरपाल (एम० ए०, वेद-द्वितीय वर्ष), रवीन्द्रकुमार (एम० ए०, संस्कृत, प्रथम वर्ष) ने स्वामी जी के प्रेरक प्रसंगों पर प्रकाश डाला तथा उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी। 卐

मानवीय-मूल्य और समाज में अन्तःसम्बन्ध पर

राष्ट्रिय कान्फ्रेन्स की संस्तुतियाँ*

१ नैतिकता का आधार कोई सम्प्रदाय नही, अपितु मानवीय सम्वेदना और हित ही हो सकता है। सम्प्रदाय का अभिप्राय यहाँ पर ऐसे विश्वासो से है जिनमें उसकी किसी परम्परा में मान्य सिद्धान्त अन्तिम माना जाता है, चाहे वह असत्य ही क्यो न हो।

२—प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर सार्वभौमिक मानवीय-मूल्यो के पालन को स्थापित करने का प्रयास करें। ऐसी शक्ति जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे तथा एक-दूसरे के प्रति सन्देह उत्पन्न करती है, उसका खण्डन करना चाहिए।

३—मनीषी वक्ताओ ने निष्कर्ष रूप में स्वीकार किया कि विज्ञान का लक्ष्य जीवन को ऐहिक और पारलौकिक समृद्धि एवं उत्कर्ष मे निहित होना चाहिए। मानव-जीवन की सुख-सुविधा के लिए विज्ञान ने अनेक उपकरण जुटाये हैं, उसे अत्यन्त सशक्त और सबल बना दिया है, किन्तु नैतिक मूल्यो के अभाव में यह सब व्यर्थ है।

४- अनेक व्यक्तियों के समुदाय से समाज का निर्माण होता है तथा मानव-मूल्यो का प्रभाव सामाजिक मूल्यो पर पडता है। आज समाज को व्यक्ति से अधिक सम्मान और वरीयता प्राप्त है। कहावत है— "यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं न करणीयम्" अर्थात् कोई भी कार्य, भले ही नैतिक दृष्टि से कितना शुद्ध हो किन्तु यदि उसे सामाजिक मान्यता प्राप्त नही है तो वह आचरणीय नहीं है। इससे व्यक्ति की गरिमा का ह्रास हुआ है और सामाजिक मूल्यों का भी पतन हुआ है।

५—बहुधा देखा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के समक्ष सौ भले आदमी भी सत्य बात कहने से कतराते हैं। अब चिन्तन का प्रभाव यह हो गया है— "अरे जाने

***७-८ सितम्बर, १९८४ को विश्वविद्यालय में 'मानवीय-मूल्य और समाज में अन्तःसम्बन्ध' विषय पर एक राष्ट्रिय कान्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। गम्भीर विश्लेषणोपरान्त विद्वानों की संस्तुतियाँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं।**

भी दो, हमें किसी से क्या लेना-देना है, जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। समाज-सुधार का ठेका हमने ही थोड़े ले रखा है।" चिन्तन के इसी ढंग ने समाज में दुर्जनो को बढावा दिया है। हमें इसके विरुद्ध न्याय का पक्ष लेना चाहिए। इसके लिए जन-जागरण आवश्यक है। संगोष्ठी में उक्त समस्या के समाधानार्थ विचार प्रस्तुत किये गये कि समाज में जीवन-मूल्यो का स्तर उन्नत किया जाये।

६—विभिन्न सस्कृतियो में जीवन की परिभाषा और उसके मूल्यांकन का दृष्टिकोण पृथक्-पृथक् प्रतिपादित है। कही संघर्ष का नाम जीवन है, तो कही शान्ति हो जीवन है। किसी के अनुसार जीवन को सार्थकता निरन्तर गतिमान रहने में है, तो किसी की मान्यता के अनुसार तत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्ष प्राप्ति मे है। संगोष्ठी के निष्कर्ष के आधार पर जीवन की सार्थकता धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलब्धि एव समन्वय में है।

७—संगोष्ठी में निष्कर्ष के रूप मे स्वीकृत कुछ सास्कृतिक जीवन-मूल्य इस प्रकार है—

(क) ज्वलितं तु क्षणं श्रेयः न तु धूमायितं चिरम्।
अर्थात् प्रज्ज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जीवन क्षण-भर का भी श्रेष्ठ है, धुएँ की तरह निरन्तर सुलगते रहकर लम्बे काल तक जीना निस्सार है।

(ख) जीवन का महत्व सदाचार और पावनता में है।

(ग) अन्याय को सहना, अन्याय करने से अधिक पापकारी है।

(घ) तप, त्याग और सत्य जीवन के स्तम्भ है।

(ङ) अर्थ का संग्रह, दान के लिए होना चाहिए।

८—राजनीति इस समय छल का पर्याय बन गयी है। इस छल की राजनीति ने आज राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश पा लिया है, जिस कारण स्वार्थ, प्रपञ्च एवं विघटन की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त है। यह ठीक है कि राजनीतिक-मूल्य अन्य जीवन-मूल्यो से कुछ विशिष्ट होते हैं, उसमें राष्ट्र की रक्षा के लिए कूटनीति का आचरण किया जा सकता है, किन्तु राजनीति का अर्थ छल नही है। राजनैतिक-मूल्य भी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय पर आश्रित होने चाहियें। इसी में सबका हित है।

९— कुछ चिन्तकों का विचार है कि राजनीतिक-मूल्यों में धर्म का समन्वय किया जाना चाहिये। राजनीति और धर्म ये दो पृथक्-पृथक् तत्व हैं। राजनीति म धर्म का प्रवेश श्रेयस्कर हो सकता है, किन्तु धर्म मे राजनीति का प्रवेश वर्जित है।

१०-जब हम नैतिक मूल्यों के निर्धारण की बात करते हैं तो वैदिक आचार-संहिता सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। परन्तु वेदो के अर्थ साम्प्रदायिक न होकर वैज्ञानिक होने चाहिएँ। उन अर्थों पर किसी सम्प्रदाय-विशेष का प्रभाव नही होना चाहिए। हम अपने प्राचीन नैतिक मूल्यों को भुला बैठे है। इसी कारण आज मानसिक-तनाव, असन्तोष, पारिवारिक-कलह, यौन-विकृति तथा विक्षिप्तता में वृद्धि हुई है। यदि हम उन्ही पुरातन-नैतिक-मूल्यो को स्वीकार कर लें, तो व्यक्ति और समाज की समस्त कुण्ठायें और तनाव समाप्त हो जाये।

११ – भारतीय आचार-संहिता मे नैतिक-मूल्यो का निर्धारण करते समय, व्यवहार के किसी भी पहलू की उपेक्षा नही की गई है। जहाँ एक ओर यह कहा गया है कि "न हिंस्यात् सर्वभूतानि" अर्थात् किसी प्राणी की हिंसा न करें, तो वहाँ दूसरी ओर यह भी निर्देश "आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्", आततायी को देखते ही मार देना चाहिये। परद्रव्य को लोष्ठ और परनारी को मातृवत् समझना भारतीय नीति की रीति सर्वथा निर्दोष है। प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार व्यवहार ही जीवन का आदर्श है। इस सम्मेलन की संस्तुति के अनुसार वैदिक-नैतिक-मूल्य शाश्वत सत्य है।

१२—जीवन-मूल्यों के परिवर्तन और परिवर्धन पर संचार-साधनो ने भी अपना प्रभाव डाला है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार-पत्र, डाक-व्यवस्था, रेल-सेवा, सड़क-परिवहन, वायुयान आदि संचार-साधन अब जीव के अपरिहार्य अंग बन गये है। जीवन को बनाने और समझने में इनकी भी भूमिका है। विश्व का बहुविध ज्ञान प्राप्त करने मे जहाँ इनका कल्याणकारी प्रयोग है, वहाँ इनके दुरुपयोग के परिणाम बहुत भयकर सिद्ध हो सकते है। इस सम्मेलन की संस्तुति है कि सचार-तन्त्र को लाकोपयोगी एव आदर्शात्मक बनाया जाये, जिससे जीवन-मूल्यो मे विकासोन्मुख प्रवत्ति का सर्जन हो सके।

१३—बालक के सुकोमल मन पर परिवेश का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। माता-पिता और आचाय का, जैसी विचारधारा, जैसा आहार-व्यवहार और जैसा क्रियाकलाप होगा उसी का विस्तार बालक मे होगा। विद्वानों की संस्तुति है कि बालक के निर्माण के उचित और उन्नत परिवेश का निर्माण किया जाये।

१४—बालकों के जीवन का मूल्य-निर्धारण बहुत कुछ पुस्तकों पर भी निर्भर करता है। उनके लिए महापुरुषों के जीवन-चरित्र, प्रभु-भक्तिपूर्ण साहित्य तथा सामान्य-ज्ञान वर्धन करने वाली पुस्तकें सुलभ करानी चाहिएँ। जिस प्रकार नवीन पात्र में लगा हुआ चिन्ह मिटता नहीं, उसी प्रकार बाल्यावस्था में पड़ा हुआ सस्कार बालक के मन पर चिरस्थायी होता है।

१५—यह तो हम देखते ही रहे हैं कि सामाजिक दबावों के कारण जीवन-मूल्य बडी द्रुत गति से बदल रहे है। जीवन-मूल्यो के ऐसे परिवर्तनो से कोई सुखद परिणाम निकला हो, ऐसी बात नही है। समस्यायें बढी हैं, कष्ट बढा है, मानसिक तनाव बढे है। ऐसे काल में प्राध्यापको का क्या कर्त्तव्य है, वह एक विचारणीय प्रश्न है।

आमन्त्रित विद्वानो की सस्तुति है कि जीवन-मूल्यों के अनर्थकारी परिवर्तन की धारा को यदि कोई रोक सकता है, तो वह अध्यापक-वर्ग ही है। गुरु ही प्रकाश दिखला सकता है। उनकी भूमिका यह होनी चाहिए कि पहले वह स्वय अपने गौरव और गरिमा को पहचानें तथा अपने आचरण मे स्वस्थ-जीवन-मूल्यो को प्रतिपादित करे। तदनन्दर ही वे अपने शिष्यो को स्वस्थ प्रेरणा दे सकेंगे।

गुरुजन का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने परिवेश के लोगो का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदले, उन्हे बताये कि श्वास-प्रक्रिया मात्र का चलते रहना ही जीवन नही है। जीवन नाम है उस ज्वलन्त इच्छा का जो व्यक्ति को निरन्तर आत्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करे।

१६—(क) शिक्षा, समाज-कल्याण एवं संस्कृति मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, उक्त समस्या को अपने प्रमुख कार्यक्रमो में सम्मिलित करे, ताकि मानवीय-मूल्यो को संरक्षण मिले और समाज की उक्त समस्या का समाधान ढूंढ़ा जा सके।

(ख) यह भी संस्तुति की जाती है कि इस विकट समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण-संस्थायें अपने यहाँ पर वर्ष मे तीन-चार बार राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय संगोष्ठियाँ आयोजित करें, ताकि मानवीय-मूल्यो के ह्रास को रोका जा सके।

———

गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय के विकासार्थ
दानकर्त्ताओं की सूची

१.	श्री विश्वनाथ मल्होत्रा, दिल्ली	५०१—००
२.	श्रीमती सत्या मल्होत्रा, दिल्ली	२५०—००
३.	श्री सुदर्शन बजाज, दिल्ली	५००—००
४.	श्री वीरेन्द्र जी (कुलाधिपति), जालन्धर	५०१—००
५.	श्री विजय शास्त्री, योगी फार्मेसी, कनखल	२५०—००
६.	श्री गोविन्दराम भुटानी	१०१—००
७.	श्री लखीराम, दिल्ली	१०१—००
८.	श्रीमती शिवराजवती, बम्बई	५०१—००
९.	श्रीमती सीतादेवी, दीनानाथ ट्रस्ट	२६००—००
१०.	श्रीमती सन्तोष सेठ	५१—००
११.	श्रीमती ईश तथा श्री आनन्दप्रकाश सचदेव, बम्बई	२१—००
१२.	श्री नरेन्द्र जुनेजा	२५१—००
१३.	श्रीमती वेदवती चोपड़ा	२०२—००
१४.	श्री वेदप्रकाश पुरी	१०१—००
१५.	श्री प्रकाश अरोरा	५१—००
१६.	श्रीमती पुष्पा भण्डारी	१०१—००
१७.	श्रीमती प्रेमलता महता	१०१—००
१८.	श्रीमती विद्यावती भण्डारी	१०१—००
१९.	श्रीमती कुलदीप जुनेजा	२५१—००
२०.	कैप्टन देव रतन	२५१—००
२१.	श्री शिशुपाल	१००—००
२२.	श्री शिवलाल सिघवानी	१०१—००
२३.	श्रीमती चन्द्रवती राय	१०१—००
२४.	श्री ईश्वर सचदेव	२१—००
२५.	श्री विजलानी	५००—००
२६.	श्रीमती शकुन्तला देवी	५१—००
२७.	शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बम्बई	१०००—००

२८.	श्री मणिलाल भाई कान्तिभाई पटेल	१५१—००
२६.	श्री पाटकर शेट, कल्याण	२५—००
३०.	श्री वेंकटेश्वर बाला जी, ठाणे	५००—००
३१.	श्री धर्मवीर गुलाटी	५०१—००
३२.	आर्यसमाज, घाटकोपर-बम्बई	१२००—००
३३.	विलियम इण्डस्ट्रीज्	२५०—००
३४.	एल० वी० पटेल एण्ड कम्पनी, घाटकोपर-बम्बई	५००—००
३५.	स्वर्गीय श्री हरीशचन्द्र द्वारा श्री मनीषदेव, सुजातपुर	४०—००
३६.	श्री विमल सूद, सान्ताक्रुज-बम्बई	१२००—००
३७.	इक्नोमिक ट्रान्सपोर्ट, बम्बई	२५०—००
३८.	श्री प्रकाशचन्द्र, सान्ताक्रुज़-बम्बई	२५०—००
३९.	श्रीमती विमलादेवी मरवाह, बम्बई	१०१—००
४०.	श्री सुर्दशन वासुदेव, बम्बई	११—००
४१.	श्री सुभाष पाल	५१—००
४२.	श्रीमती मधु थापर	२१—००
४३.	श्री विजलानी	५००—००
४४.	आर्यसमाज, सान्ताक्रुज़-बम्बई	१२००—००
४५.	श्री एस. डी. शर्मा, स्वामीनगर, नयी दिल्ली	५०१—००
४६	श्रीमती सीतादेवी, दीनानाथ ट्रस्ट	१०१—००
	कुल योग:	१६०१४—००

जनवरी '८४ से मई '८४ तक पुस्तकालय की विशेष उपलब्धियाँ

प्रस्तुतकर्ता—जगदीशप्रसाद विद्यालंकार
पुस्तकालयाध्यक्ष

१ जनवरी ८४ से मई ८४ तक की अवधि में कुल ६६६ नई पुस्तकों को मंगवाया गया।

२. उक्त अवधि में पुस्तकालय में गुरुकुल के प्रकाशनों का एवं गुरुकुल के स्नातकों एवं प्राध्यापकों के प्रकाशनों का विशेष कक्ष बनाया गया तथा इस कक्ष में संग्रहीत पुस्तकों की फरवरी ८३ में प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिसे मान्यवर कुलाधिपति जी एवं परिद्रष्टा महोदय ने गहरी रुचि से देखा।

३ पुस्तकालय की लगभग १००० पत्रिकाओं की जिल्दबन्दी इसी अवधि के दौरान कराई गयी। ये पत्रिकायें जिल्दबंदी हेतु पिछले अनेक वर्षों से प्रतिक्षित थी। इसी प्रकार २५०० पुस्तकों की जिल्दबंदी भी कराई गई।

४. पुस्तकालय में उपलब्ध १६वीं शताब्दी की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह बनाया गया। उपलब्ध पांडुलिपियों का केटेलाग तैयार किया गया।

५ प्रतियोगितात्मक परीक्षा पुस्तक संग्रह की लगभग २०० पुस्तकें मंगवाई गई।

६. यू० जी० सी० की विजिटिंग टीम ने दिनांक ६-३-८४ को पुस्तकालय का अवलोकन किया तथा पुस्तकालय के विभिन्न संग्रहों से वे विशेष रूप से प्रभावित हुए।

७. पुस्तकालय की नियमित बैठकें दिनांक २-१-८४ एवं दिनांक १२-५-८४ को सम्पन्न की गई जिसमें पिछले वर्षों के अनेक उलझनपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया गया।

८. सर्वप्रथम विभिन्न विषयों की विदेशी महत्त्वपूर्ण पत्रिकायें मंगवाने का कार्य इस अवधि में किया गया। लगभग २५ विदेशी पत्रिकाओं के आदेश भेजे गये।

६. यू०जी०सी० विजिटिंग टीम ने पुस्तकालय के लिए ४ ७५ लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया जो पहले स्वीकृत ५ लाख रुपये की राशि से अतिरिक्त है तथा इस अनुदान से व्यापक रूप से पुस्तकालय के संग्रह को नवीनतम बनाया जा रहा है।

१० स्टाक प्रमाणीकरण का कार्य इस अवधि में शुरु कराया गया है।

११. स्वर्गीय धर्मदत्त जी वैद्य के जीवनपर्यन्त २०० बहुमूल्य पुस्तकों के संग्रह को पुस्तकालय हेतु उनके परिवार से भेंटस्वरूप प्राप्त किया गया।